रजिस्ट्री सं० डी-222

REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 8, 1972 (पौष 18, 1893)

No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 8, 1972 (PAUSA 18, 1893)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

(PART III—SECTION 4)

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

(Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies)

रिज़र्व बैंक आफ इंडिया

केन्द्रीय कार्यालय

गैर-बैंकिंग कम्पनी विभाग

कलकत्ता-1, दिनांक 21 दिसम्बर 1971

सं० डी० एन० बी० सी० 7/डी० जी० (एस०)-71—रिज़र्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम, 1934 की धारा 45अ, 45ट और 45ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस उद्देश्य के लिए समर्थ बनानेवाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, इसके द्वारा यह निदेश देता है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1966 में 1 जनवरी 1972 से निम्नलिखित प्रकार से संशोधन किये जाएं :—

I. पराग्राफ 2 के उप पैराग्राफ (1) के खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए :

"(च) 'जमा' से किसी कम्पनी के पास जमा की गयी कोई राशि अभिप्रेत है और उसमें कम्पनी द्वारा उधार ली गयी कोई राशि शामिल है, किन्तु उसमें निम्नलिखित शामिल नहीं है—

(i) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से प्राप्त या द्वारा गारंटीकृत कोई ऋण या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी विदेशी सरकार या किसी अन्य विदेशी नागरिक, प्राधिकारी या व्यक्ति से प्राप्त कोई ऋण ;

(ii) किसी कम्पनी की आस्तियों या उनके किसी अंश को गिरवी, आड़, बंधक या दृष्टि बंधक रखने, प्रभारित करने जिसमें फ्लोट प्रभार शामिल है, या गहन रखने की शर्तों पर लिया गया कोई ऋण;

(iii) किसी बैंकिंग कम्पनी से या स्टेट बैंक आफ इंडिया से या बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) की धारा 51 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी बैंकिंग संस्था से या बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों को अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 2 में परिभाषित किसी तदनुरूपी नये बैंक से या रिज़र्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 2 के खंड (ख ii) में परिभाषित किसी सहकारी बैंक से या साहूकारी के संबंध में तत्काल अमल में रहनेवाली किसी विधि के अधीन पंजीकृत किसी व्यक्ति से प्राप्त कोई ऋण ;

1—409GI/71

(iv) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 के अधीन स्थापित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 के अधीन स्थापित भारतीय औद्योगिक वित्त निगम या राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 के अधीन स्थापित किसी राज्य वित्तीय निगम या तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड या भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लिमिटेड या भारतीय राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड या नौवहन विकास निधि समिति या भारतीय जीवन बीमा निगम या भारतीय पुनः स्थापना उद्योग निगम लिमिटेड या बिजली (पूर्ति) अधिनियम, 1948 के अधीन स्थापित किसी बिजली बोर्ड या भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड या भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड या कृषि वित्त निगम लिमिटेड या भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड या इस संदर्भ में रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित की जाने वाली किसी दूसरी वित्तीय संस्था से प्राप्त कोई ऋण;

(v) किसी नियंत्रक कम्पनी द्वारा अपनी सहायक कंपनी से या किसी सहायक कंपनी द्वारा अपनी नियंत्रक कम्पनी से या किसी कम्पनी द्वारा अपनी सहायक कम्पनियों में से किसी की सहायक कम्पनी से या अपनी नियंत्रक कंपनी की किसी सहायक कम्पनी से या अपनी नियंत्रक कम्पनी की किसी सहायक कम्पनी से या किसी कम्पनी द्वारा अपनी नियंत्रक कम्पनी की किसी नियंत्रक कम्पनी से प्राप्त कोई ऋण;

(vi) किसी सरकारी कम्पनी को किसी दूसरी सरकारी कम्पनी से प्राप्त कोई ऋण;

(vii) किसी चिट फंड कम्पनी अथवा चिट या कुरि का कारोबार करने वाली किसी दूसरी कम्पनी के मामले में ठेके, करार या उससे संबंधित दूसरी व्यवस्था के अनुसार चिट या कुरि श्रेणी के सदस्यों से प्राप्त कोई अंशदान और स्टाक एक्सचेंज या स्टाक-दलाली कम्पनी के मामले में प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री के संबंध में प्राप्त कोई रकम;

(viii) पारस्परिक लाभ वाली वित्तीय कम्पनी के मामले में मीयादी, आवर्ती, प्रासंगिक या दूसरी जमा राशियों के रूप में उसके सदस्यों से प्राप्त कोई रकम;

(ix) किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त कोई ऋण जो ऋण प्राप्त करते समय कम्पनी का निदेशक था या है, या 3 अप्रैल 1970 के पहले ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त कोई ऋण जो ऋण प्राप्त करते समय कम्पनी के प्रबंध एजेंट या सचिव और कोषपाल थे;

(x) कम्पनी के किसी कर्मचारी से जमामती जमा राशि के रूप में प्राप्त कोई रकम;

(xi) कम्पनी के कारोबार के दौरान या उसके उद्देश्यों के लिए खरीदने वाले, विक्रय करने वाले या दूसरे एजेंटों से प्राप्त कोई रकम या माल, संपत्ति या सेवाओं के आदेशों पर प्राप्त कोई अग्रिम;

(xii) कम्पनी की आस्तियों पर प्रभार अथवा ग्रहणाधिकार में से किसी भी मामले में प्राप्त किन्हीं शेयरों या स्टाक या किन्हीं बांडों या डिबेंचरों में किये गये अभिदान के रूप में प्राप्त कोई रकम, उक्त शेयरों, स्टाक, बांडों या डिबेंचरों का वितरण किये जाने तक; और

(xiii) न्यास में प्राप्त कोई रकम या मार्गस्थ कोई रकम।"

II. पैराग्राफ 2 के उप पैराग्राफ (1) के खंड (छ) में "आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 34 की उपधारा—3" इन शब्दों के स्थान पर "आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 10 की उपधारा (2) या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 34 की उपधारा (3) या तत्काल अमल में रहनेवाली किसी दूसरी विधि के अधीन"—ये शब्द प्रतिस्थापित किये जाएं।

III. पैराग्राफ 2 के उप पैराग्राफ (1) के खंड (ङ) में "आवास वित्त, बीमा, निवेश, ऋण"—इन शब्दों के पहले "पारस्परिक लाभवाली वित्तीय"—ये शब्द जोड़े जाएं।

IV. भाग II में पैराग्राफ 3 और 4 के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किये जाएं :—

"3. गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा जमा राशियों की स्वीकृति :

(1) 1 जनवरी 1972 को और उस तारीख से

(क) कोई पारस्परिक लाभवाली वित्तीय कम्पनी अपने सदस्यों या सह-सदस्यों के सिवाय अन्यों से जमा राशियां स्वीकार नहीं करेगी ;

(ख) कोई किराया खरीद वित्त कम्पनी मांग या नोटिस पर अदा की जानेवाली या ऐसी जमा राशि की प्राप्ति की तारीख से छः महीनों से कम अवधि के बाद अदा की जानेवाली कोई जमा राशि स्वीकार नहीं करेगी या इन निदेशों के लागू होने की तारीख के पहले या बाद में अपने द्वारा प्राप्त की गयी किसी जमा राशि का नवीकरण नहीं करेगी यदि नवीकरण होने पर ऐसी जमा राशि नवीकरण की तारीख से छः महीनों के पहले अदा करने योग्य हो,

(ग) कोई अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी मांग या नोटिस पर अदा की जानेवाली या ऐसी जमा राशि की प्राप्ति की तारीख से बारह महीनों से कम अवधि के बाद अदा की जानेवाली कोई जमा राशि स्वीकार नहीं करेगी या इन निदेशों के लागू होने की तारीख के पहले या बाद में अपने द्वारा प्राप्त की गयी किसी जमा राशि का नवीकरण नहीं करेगी यदि नवीकरण होनेपर ऐसी जमा राशि नवीकरण की तारीख से बारह महीनों के पहले अदा करने योग्य हो,

(घ) कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी जो किराया खरीद वित्त कम्पनी या आवास वित्त कम्पनी नहीं है, ऐसी कोई जमा राशि स्वीकार नही करगी जो पहले ही प्राप्त हुई और कम्पनी के बही खाते में बकाया रहने वाली ऐसी ही दूसरी जमा राशियों के साथ जमा राशियों के निम्नलिखित वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के संदर्भ में इसके बाद निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक है —

(i) किसी सदस्य से ऋण के रूप में या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा गारंटीकृत ऋण के रूप में जो गारंटी प्रदान करते समय निदेशक है, प्राप्त जमा राशि के मामले में, कम्पनी की चुकता पूंजी और निर्बाध आरक्षित निधियों की कुल राशि का पच्चीस प्रतिशत;

(ii) किसी दूसरी जमा राशि के मामले में कम्पनी की चुकता पूंजी और निर्बाध आरक्षित निधियों की कुल राशि का पच्चीस प्रतिशत।

(2) किसी भी आशंका को दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषणा की जाती है कि कोई पारस्परिक लाभवाली वित्तीय कम्पनी अपने सदस्यों या अपने सह-सदस्यों से उक्त सदस्यों और कम्पनी के बीच लिखित या विवक्षित किन्हीं करारों में निर्दिष्ट किन्हीं अवधियों के लिए जमा राशि स्वीकार कर सकती है।"

"4. गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की वर्तमान जमा राशियों के सम्बन्ध में उपबन्ध :

(1) जहां 1 जनवरी 1972 को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) के खंड (घ) के उप खंड (i) में उल्लिखित प्रकार की जमा राशियों और ऐसे व्यक्तियों द्वारा गारंटीकृत ऋणों के रूप में प्राप्त जमा राशियों, जो गारंटी प्रदान करते समय कम्पनी के प्रबंध एजेंट या सचिव और कोषपाल थे, की कुल राशि किसी ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी जो किराया खरीद वित्त कम्पनी या आवास वित्त कंपनी न हो, की चुकता पूंजी और निर्बाध आरक्षित निधियों की कुल राशि के पच्चीस प्रतिशत से अधिक हो वहां ऐसी कम्पनी यह इतमीनान कर लेगी कि जब कभी जमा राशियां अदायगी के लिए पुग जाती हैं तब उनकी वापसी अदायगी कर या इस उपबंध के पालन के लिए आवश्यक किसी दूसरे प्रकार से—

(क) 1 अप्रैल 1973 के पहले उक्त अधिक राशि के कम से कम एक-तिहाई भाग को कम कर दिया जाएगा;

(ख) 1 अप्रैल 1974 के पहले उक्त अधिक राशि के कम से कम दूसरे एक-तिहाई भाग को कम कर दिया जाएगा; और

(ग) उक्त अधिक राशि का यदि कोई शेष भाग हो तो उसे 1 अप्रैल 1975 के पहले कम कर दिया जाएगा।

(2) जहां इस पैराग्राफ के अंत में दिये गये स्पष्टीकरण के केवल अमल में आने के परिणामस्वरूप पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) के खंड (घ) के उप खंड (ii) में उल्लिखित प्रकार की और किसी ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी जो किराया खरीद वित्त कम्पनी या आवास वित्त कम्पनी न हो, के पास रहने-वाली जमा राशि 1 जनवरी 1972 को उस कम्पनी की चुकता पूंजी और निर्बाध आरक्षित निधियों की कुल राशि के पच्चीस प्रतिशत से अधिक हो वहां ऐसी कम्पनी यह इतमीनान कर लेगी कि जब कभी जमा राशियां अदायगी के लिए पुग जाती हैं तब उनकी वापसी अदायगी कर या इस उपबंध के पालन के लिए आवश्यक किसी दूसरे प्रकार से ऐसी अतिरिक्त राशि को 1 अप्रैल 1973 के पहले कम कर दिया जाएगा।

(3) प्रत्येक ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी जिसके पास 1 जनवरी 1972 को ऐसी जमा राशियां हों जो पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) के खंड (घ) के उप खंड (i) में उल्लिखित प्रकार की हों और मांग या नोटिस पर या ऐसी जमा राशियों की प्राप्ति की तारीख से यथास्थिति छः महीनों या बारह महीनों से कम अवधि के बाद अदा करने योग्य हों —

(क) यदि ऐसी जमा राशियों की कुल रकम कम्पनी की चुकता पूंजी और निर्बाध आरक्षित निधियों की कुल राशि के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं हो तो 1 अप्रैल 1973 के पहले इस उद्देश्य के लिए आवश्यक कदम उठाकर यह इतमीनान कर लेगी कि उक्त जमा राशियां या तो अदा की जा चुकी हैं या परिवर्तित या नवीकृत की गयी हैं जिससे कि वे परिवर्तन या नवीकरण की तारीख से यथास्थिति छः महीनों या बारह महीनों के बाद अदा किये जाने योग्य हों;

(ख) यदि ऐसी जमा राशियों की कुल रकम कम्पनी की चुकता पूंजी और निर्बाध आरक्षित निधियों की कुल राशि के पच्चीस प्रतिशत से अधिक हो तो इस उद्देश्य के लिए आवश्यक कदम उठाकर यह इतमीनान कर लेगी कि—

(i) 1 अप्रैल 1973 के पहले कम से कम इतनी जमा राशियां जो चुकता पूंजी और निर्बाध आरक्षित निधियों की कुल राशि के पच्चीस प्रतिशत के बराबर हों;

(ii) 1 अप्रैल 1974 के पहले ऐसी जमा राशियों के बकाये का कम से कम आधा भाग ; और

(iii) 1 अप्रैल 1975 के पहले ऐसी जमा राशियों का शेष भाग, यदि कोई हो, या तो अदा किया जा चुका है या परिवर्तित या नवीकृत किया गया है जिससे कि वे जमा राशियां परिवर्तन या नवीकरण की तारीख से यथास्थिति छः महीनों या बारह महीनों के बाद अदा किये जाने योग्य हों ।"

स्पष्टीकरण :—इस उप पैराग्राफ और पैराग्राफ 3(i) (घ) के उद्देश्यों के लिए चुकता पूंजी और निर्बाध आरक्षित निधियों की कुल राशि का हिसाब लगाते समय यदि कम्पनी के तुलनपत्र में हानि की कोई संचित बकाया राशि दिखाई गई हो तो उसे कम्पनी के तुलनपत्र में दी गई चुकता पूंजी और निर्बाध आरक्षित निधियों की कुल राशि से घटा दिया जाएगा ।"

V. भाग II में पैराग्राफ 9 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"9. जमा राशियों की वापसी अदायगी के लिए सामान्य शर्तें :

1 जनवरी 1972 को और उस तारीख से कोई गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी—

(क) जो जमा राशि उस तारीख के पहले जबकि वह वापसी अदायगी के लिए पुग जाती हो, किन्तु किराया खरीद वित्त कम्पनियों के मामले में ऐसी जमा राशि की प्राप्ति की तारीख से छः महीने और दूसरी वित्तीय कम्पनियों के मामले में ऐसी जमा राशि की प्राप्ति की तारीख से बारह महीने समाप्त होने की तारीख को या उसके बाद वापस अदा की जाती हो उस पर करार की गयी वार्षिक दर में एक प्रतिशत कम कर, उससे अधिक किसी दर पर ब्याज अदा नहीं करेगी ; और

(ख) जो जमा राशि उपर्युक्त अवधि के समाप्त होने के पहले वापस अदा की जाती हो उस पर निम्नलिखित सम्बन्धित दर से अधिक दर पर ब्याज अदा नहीं करेगी :

	स्वीकृत अधिकतम प्रतिशत वार्षिक दर
(i) यदि जमा राशि प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों की अवधि के भीतर वापस अदा की जाए ।	कुछ नहीं
(ii) यदि जमा राशि प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों की अवधि के बाद, किन्तु 45 दिनों की अवधि के भीतर वापस अदा की जाए ।	1
(iii) यदि जमा राशि प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों की अवधि के बाद, किन्तु 90 दिनों की अवधि के भीतर वापस अदा की जाए ।	2
(iv) यदि जमा राशि प्राप्ति की तारीख से 90 दिनों की अवधि के बाद, किन्तु छः महीनों की अवधि के भीतर वापस अदा की जाए ।	3½
(v) यदि जमा राशि प्राप्ति की तारीख से छः महीनों की अवधि के बाद, किन्तु नौ महीनों की अवधि के भीतर वापस अदा की जाए ।	3½
(vi) यदि जमा राशि प्राप्ति की तारीख से नौ महीनों की अवधि के बाद किन्तु बारह महीने समाप्त होने के पहले वापस अदा की जाए ।	4½

किन्तु जहां जमा की शर्तों में गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी के विकल्प पर जमा राशि की शीघ्र वापसी अदायगी की व्यवस्था हो और ऐसे विकल्प के अनुसार जमा राशि शीघ्र वापस अदा की जाती हो वहां इस पैराग्राफ की कोई शर्त लागू नहीं होगी।

VI. पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी अनुसूचियों में निम्नलिखित प्रकार से संशोधन किया जाएगा :—

(क) पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी अनुसूचियों के भाग I के खंड (i), (ii) और (iii) के स्थान पर निम्नलिखित नये खंड (i), (ii) और (iii) प्रतिस्थापित किए जाएं :—

(i) **बकाया जमा राशियां**

(राशि हजार रुपयों में)

संकेत संख्या	ऋणों, प्राप्तियों और जमा राशियों के प्रकार	31 मार्च 19 को लेखों की राशि संख्या
	I. छूट प्राप्त ऋण या दूसरी प्राप्तियां जिन्हें जमा राशियों के रूप में नहीं माना जाता :	
1.	(क) निदेशक या भूतपूर्व प्रबंध एजेंट या सचिव और कोषपाल, यदि कोई हो।	
2.	(ख) कर्मचारियों से प्राप्त जमानती जमाराशियां।	
3.	(ग) खरीदनेवाले, विक्रय करने वाले और दूसरे एजेंट।	
4.	(घ) नियंत्रक या सहायक कम्पनियां	
5.	(ङ) जमानती उधार और बैंक, अन्य निर्दिष्ट संस्थाओं, विदेशी सरकार और किसी दूसरी विदेशी संस्था से लिये गये उधार।	
6.	(च) दूसरे छूट प्राप्त ऋण या प्राप्तियां जिन्हें जमा राशियों के रूप में नहीं माना जाता।	
7.	जोड़ (क+ख+ग+घ+ङ+च)	
	II जमा राशियां	
8	(क) दूसरी मिश्रित पूंजी कम्पनियों (इनमें एक ही वर्ग की कम्पनियां शामिल हैं) से प्राप्त मीयादी जमा राशियां।	
9	(ख) दूसरी सभी मीयादी जमा राशियां	
10	(i) जोड़ (क+ख)	
11	(ग) शेयरधारियों से प्राप्त ऋण	
12	(घ) निदेशकों और भूतपूर्व प्रबंध एजेंटों सचिवों और कोषपालों, यदि कोई हों, द्वारा गारंटीकृत ऋण।	
13	(ङ) दूसरे सभी गैर जमानती ऋण/ गैर जमानती डिबेंचर	
14	(ii) जोड़ (ग+घ+ङ)	
15	(i)+(ii) का जोड़	
16	III. उपर्युक्त I और II का जोड़	

(ii) **जमाराशियों की अवधि**

(राशि हजार रुपयों में)

संकेत संख्या	ऋणों, प्राप्तियों और जमाराशियों के प्रकार	संकेत संख्या	जमाराशियों की अवधि	31 मार्च 19 को	
				लेखों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6
0	I. छूट प्राप्त ऋण या दूसरी प्राप्तियां जिन्हें जमाराशियों के रूप में नहीं माना जाता अर्थात जमाराशियों के रूप में निदेशकों,	1	मांग या नोटिस पर या अन्यथा 6 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय		
		2	नोटिस द्वारा या अन्यथा 6 महीने या		

1	2	3	4	5	6
	भूतपूर्व प्रबंध एजेंटों या सचिवों और कोषपालों, यदि कोई हो या कर्मचारियों से और खरीदनेवाले, विक्रय करने वाले या दूसरे एजेंटों या नियंत्रक या सहायक कम्पनियों से प्राप्त ऋण या प्राप्तियां और छूट प्राप्त दूसरे सभी ऋण या दूसरी प्राप्तियां	उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 12 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय			
		3 नोटिस द्वारा या अन्यथा 12 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 24 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय			
		4 नोटिस द्वारा या अन्यथा 24 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 36 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय।			
		5 नोटिस द्वारा या अन्यथा 36 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 60 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय			
		6 नोटिस द्वारा या अन्यथा 60 महीने या उस से अधिक अवधि के बाद प्रतिदेय।			
		7 1 से 6 तक का जोड़			
00 II.	जमाराशियां अर्थात् दूसरी मिश्रित पूंजी कम्पनियों (इनमें एक ही वर्ग की कम्पनियां शामिल हैं) से प्राप्त मीयादी जमाराशियां, दूसरी सभी मीयादी जमाराशियां, शेयरधारियों से प्राप्त या निदेशकों और भूतपूर्व प्रबंध एजेंटों, सचिवों और कोषपालों, यदि कोई हों, द्वारा गारंटीकृत ऋण और दूसरे गैर जमानती ऋण/गैर जमानती डिबेंचर या जमाराशियां	1 6 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 12 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय			
		2 12 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 24 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय			
		3 24 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 36 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय।			
		4 36 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 60 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय			
		5 60 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद प्रतिदेय			
		6 कोई अन्य जमाराशियां (विवरण निर्दिष्ट किये जाएं)			
		7 1 से 6 तक का जोड़			
000 III.	I और II का जोड़				

(iii) जमाराशियों पर ब्याज दरें

(बचतों को छोड़कर) (राशि हजार रुपये में)

संकेत संख्या	ऋणों, प्राप्तियों और जमा राशियों के प्रकार	संकेत संख्या	31 मार्च 19 को	
			ब्याज की दर	जमा रकम
1	2	3	4	5
0	1. छूट प्राप्त ऋण या दूसरी प्राप्तियां जिन्हें जमाराशियों के रूप में नहीं माना जाता अर्थात् निदेशकों या भूतपूर्व प्रबंध एजेंटों या सचिवों और कोषपालों, यदि कोई हों, या कर्मचारियों से जमानती जमाराशियों के रूप में और खरीदने-वाले, विक्रय करनेवाले या दूसरे एजेंटों या नियंत्रक या सहायक कम्पनियों से प्राप्त ऋण या प्राप्तियां और छूट प्राप्त दूसरे सभी ऋण या दूसरी प्राप्तियां	1	5% और उससे कम	
		2	5% से अधिक परन्तु 7% से कम	
		3	7% या उससे अधिक परन्तु 9% से कम	
		4	9% या उससे अधिक परन्तु 10% से कम	
		5	10% या उससे अधिक परन्तु 12% से से कम	
		6	12% या उससे अधिक	
00	II जमाराशियां अर्थात् दूसरी मिश्रित पूंजी कम्पनियों (इनमें एक ही वर्ग की कम्पनियां शामिल हैं) से प्राप्त मीयादी जमा राशियां, दूसरी सभी मीयादी जमाराशियां शेयरधारियों से प्राप्त या निदेशकों और भूतपूर्व प्रबंध एजेंटों, सचिवों और कोषपालों, यदि कोई हों, द्वारा गारंटी-कृत ऋण और दूसरे गैर जमानती ऋण/गैर जमानती डिबेंचर या जमाराशियां	1	5% और उससे कम	
		2	5% से अधिक परन्तु 7% से कम	
		3	7% या उससे अधिक परन्तु 9% से कम	
		4	9% या उससे अधिक परन्तु 10% से कम	
		5	10% या उससे अधिक परन्तु 12% से कम	
		6	12% या उससे अधिक	
000	III I और II का जोड़			

(ख) पहली अनुसूची के भाग I के साथ संलग्न किये गये अनुदेशों की मद (i) में विद्यमान शब्द "और तारीख 30 सितम्बर के पहले" हटा दिये जाए।

(ग) पहली अनुसूची के भाग II के खंड (iii) और चौथी अनुसूची के भाग IV में संकेत संख्या 2 के सामने विद्यमान "अनुसूचित बैंकों के चालू लेखों में"—इन शब्दों के स्थान पर "अनुसूचित बैंकों के चालू या किसी दूसरे जमा लेखे में"—ये शब्द प्रतिस्थापित किये जाएं।

एस० एस० शिरालकर, उप गवर्नर

रिज़र्व बैंक आफ इंडिया

केन्द्रीय कार्यालय

गैर बैंकिंग कम्पनी विभाग

कलकत्ता-1 दिनांक 21 दिसम्बर 1971

सं० डी० एन० बी० सी० 8/डी० जी० (एस०) 71—रिज़र्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम, 1934 की धारा 45ञ, 45ट और 45ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस उद्देश्य के लिए समर्थ बनानेवाली शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, इसके द्वारा यह निदेश देता है कि गैर बैंकिंग वित्तेतर कम्पनी (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1966 में 1 जनवरी 1972 से निम्नलिखित प्रकार से संशोधन किये जाएं:—

I. पैराग्राफ 2 के उप पैराग्राफ (I) के खंड (ब) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए :

ब "जमा" से किसी कंपनी के पास जमा की गई कोई राशि अभिप्रेत है और उसमें कम्पनी द्वारा उधार ली गयी कोई राशि शामिल है, किन्तु उसमें निम्नलिखित शामिल नहीं है:—

(i) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से प्राप्त या द्वारा गारंटीकृत कोई ऋण या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी विदेशी सरकार या किसी अन्य विदेशी नागरिक, प्राधिकारी या व्यक्ति से प्राप्त कोई ऋण;

(ii) किसी कंपनी की आस्तियों या उनके किसी अंश को गिरवी, आड़, बंधक या दृष्टिबंधक रखने, प्रभारित करने जिसमें चल प्रभार शामिल है, या गहन रखने की शर्तों पर लिया गया कोई ऋण;

(iii) किसी बैंकिंग कम्पनी से या स्टेट बैंक आफ इंडिया से या बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 51 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी बैंकिंग संस्था से या बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 2 में परिभाषित किसी तदनुरूपी नये बैंक से या रिज़र्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 2 के खंड (ख II) में परिभाषित किसी सहकारी बैंक से या साहूकारी के संबंध में तत्काल अमल में रहनेवाली किसी विधि के अधीन पंजीकृत किसी व्यक्ति से प्राप्त ई ऋण;

(iv) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 के अधीन स्थापित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, औद्योकि वित्त निगम अधिनियम, 1948 के अधीन स्थापित भारतीय औद्योगिक वित्त निगम या राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 के अधीन स्थापित किसी राज्य वित्तीय निगम या तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड या भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लिमिटेड या भारतीय राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड या नौवहन विकास निधि समिति या भारतीय जीवन बीमा निगम या भारतीय पुनःस्थापना उद्योग निगम लिमिटेड या बिजली (पूर्ति) अधिनियम 1948 के अधीन स्थापित किसी बिजली बोर्ड या भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड या भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड या कृषि वित्त निगम लिमिटेड या भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड या इस संदर्भ में रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित की जानेवाली किसी दूसरी वित्तीय संस्था से प्राप्त कोई ऋण;

(v) किसी नियंत्रक कम्पनी द्वारा अपनी सहायक कम्पनी से या किसी सहायक कम्पनी द्वारा अपनी नियंत्रक कम्पनी से या किसी कम्पनी द्वारा अपनी सहायक कम्पनियों में से किसी की सहायक कम्पनी से या अपनी नियंत्रक कम्पनी की किसी सहायक कम्पनी से या अपनी नियंत्रक कम्पनी की नियंत्रक कम्पनी की किसी सहायक कम्पनी से या किसी कम्पनी द्वारा अपनी नियंत्रक कम्पनी की किसी नियंत्रक कम्पनी से प्राप्त कोई ऋण;

(vi) किसी सरकारी कम्पनी को किसी दूसरी सरकारी कम्पनी से प्राप्त कोई ऋण;

(vii) किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त कोई ऋण जो ऋण प्राप्त करते समय कम्पनी का निदेशक था या है, या 3 अप्रैल 1970 के पहले ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त कोई ऋण जो ऋण प्राप्त करते समय कम्पनी के प्रबन्ध एजेंट या सचिव और कोषपाल थे;

(viii) कम्पनी के किसी कर्मचारी से जमानती जमाराशि के रूप में प्राप्त कोई रकम ;

(ix) कम्पनी के कारोबार के दौरान या उसके उद्देश्यों के लिए खरीदनेवाले, विक्रय करनेवाले या दूसरे एजेंटों से प्राप्त कोई रकम या माल के आदेशों, संपत्ति या सेवाओं पर प्राप्त कोई अग्रिम;

(x) कम्पनी की आस्तियों पर प्रभार अथवा ग्रहणाधिकार में से किसी भी मामले में प्राप्त किन्हीं शेयरों या स्टाक या किन्हीं बांडों या डिबेंचरों में किये गये अभिदान के रूप में प्राप्त कोई रकम, उक्त शेयरों, स्टाक, बाडों या डिबेंचरों का वितरण किये जाने तक; और

(xi) न्यास में प्राप्त कोई रकम या मार्गस्थ कोई रकम।"

II. पैराग्राफ 2 के उप पैराग्राफ (1) के खंड (छ) में "आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 34 की उपधारा 3"—इन शब्दों के स्थान पर "आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 10 की उपधारा (2) या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 34 की उपधारा (3) या तत्काल अमल में रहनेवाली किसी दूसरी विधि के अधीन"—ये शब्द प्रतिस्थापित किये जाएं।

III. पैराग्राफ 2 के उप पैराग्राफ (1) के खंड (त) में "जो एक औद्योगिक संस्था या जो मुख्य रूप से प्रतिभूतियों से इतर माल या पण्यों की खरीद या बिक्री का कारोबार करती है, किन्तु जिसमें कोई चिटफंड शामिल नहीं है"—इन शब्दों के स्थान पर "जो चिटफंड नहीं है"—ये शब्द प्रतिस्थापित किये जाएं।

IV. भाग II में पैराग्राफ 3 और 4 के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किये जाएं:—

"3. गैर बैंकिंग वित्तेतर कम्पनियों द्वारा जमा राशियों की स्वीकृति :

(1) 1 जनवरी 1972 को और उस तारीख से कोई गैर बैंकिंग वित्तेतर कम्पनी मांग या नोटिस पर अदा की जानेवाली या ऐसी जमाराशि की प्राप्ति की तारीख से बारह महीने से कम अवधि के बाद अदा की जानेवाली कोई जमाराशि स्वीकार नहीं करेगी अथवा इन निदेशों के लागू होने की तारीख के पहले या बाद अपने द्वारा प्राप्त की गयी किसी जमाराशि का नवीकरण नहीं करेगी यदि नवीकरण होने पर ऐसी जमाराशि नवीकरण की तारीख से बारह महीनों के पहले अदा करने योग्य हो।

(2) 1 जनवरी 1972 को और उस तारीख से कोई गैर बैंकिंग वित्तेतर कम्पनी ऐसी कोई जमाराशि स्वीकार नहीं करेगी जो पहले ही प्राप्त की गयी और कम्पनी के बही खाते में बकाया रहनेवाली ऐसी ही किन्हीं दूसरी जमाराशियों के साथ इसके बाद निम्नलिखित जमाराशि-वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के संदर्भ में निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हो, अर्थात्

(i) किसी सदस्य से ऋण के रूप में या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा गारंटीकृत के रूप में जो गारंटी प्रदान करते समय निदेशक है, प्राप्त जमाराशि के मामले में, कम्पनी की चुकता पूंजी और निर्बाध आरक्षित निधियों की कुल राशि का पच्चीस प्रतिशत;

(ii) किसी दूसरी जमाराशि के मामले में कम्पनी की चुकता पूंजी और निर्बाध आरक्षित निधियों की कुल राशि का पच्चीस प्रतिशत।"

"4. गैर बैंकिंग कम्पनियों की वर्तमान जमा राशियों के सम्बन्ध में प्रबन्ध :

(1) जहां 1 जनवरी 1972 को पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (2) के खंड (i) में उल्लिखित प्रकारों की जमा राशियों और ऐसे व्यक्तियों द्वारा गारंटीकृत ऋणों के रूप में प्राप्त जमा राशियों, जो गारंटी प्रदान करते समय कम्पनी के प्रबंध एजेंट या सचिव और कोषपाल थे, की कुल राशि किसी ऐसी गैर बैंकिंग वित्तेतर कम्पनी की चुकता पूंजी और निर्बाध आरक्षित निधियों की कुल राशि के पच्चीस प्रतिशत से अधिक हो वहां ऐसी कम्पनी यह इतमीनान कर लेगी कि जब कभी उक्त जमा राशियां अदायगी के लिए पुग जाती हैं तब उनकी वापसी अदायगी कर या इस उपबंध के पालन के लिए आवश्यक किसी दूसरे प्रकार से—

(क) 1 अप्रैल 1973 के पहले उक्त अधिक राशि के कम से कम एक-तिहाई भाग को कम कर दिया जायगा;

(ख) 1 अप्रैल 1974 के पहले उक्त अधिक राशि के कम से कम दूसरे एक-तिहाई भाग को कम कर दिया जाएगा; और

(ग) उक्त अधिक राशि का यदि कोई शेष भाग हो तो उसे 1 अप्रैल 1975 के पहले कम कर दिया जाएगा।

(2) जहां इस पैराग्राफ के अंत में दिये गये स्पष्टीकरण के केवल अमल में आने के परिणामस्वरूप पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (2) के खंड (ii) में उल्लिखित प्रकार की और किसी ऐसी गैर बैंकिंग वित्तेतर कम्पनी के पास रहने-वाली जमा राशि 1 जनवरी 1972 को उस कम्पनी की चुकता पूंजी और निर्बाध आरक्षित निधियों की कुल राशि के पच्चीस प्रतिशत से अधिक हो वहां ऐसी कम्पनी यह

इतमीनान कर लेगी कि जब कभी जमा राशियाँ अदायगी के लिए पुग जाती हैं तब उनकी वापसी अदायगी कर या इस उपबंध के पालन के लिए आवश्यक किसी दूसरे प्रकार से ऐसी अतिरिक्त राशि को 1 अप्रैल 1973 के पहले कम कर दिया जाएगा।

(3) प्रत्येक ऐसी गैर बैंकिंग वित्तेतर कम्पनी जिसके पास 1 जनवरी 1972 को ऐसी जमा राशियां हो जो पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (2) के खंड (i) में उल्लिखित प्रकार की हों और मांग या नोटिस पर या ऐसी जमा राशियों की प्राप्ति की तारीख से बारह महीने से कम अवधि के बाद अदा करने योग्य हों —

(क) यदि ऐसी जमाराशियों की कुल रकम कम्पनी की चुकता पूंजी और निर्बाध आरक्षित निधियों की कुल राशि के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं हो तो 1 जनवरी 1973 के पहले इस उद्देश्य के लिए आवश्यक कदम उठाकर यह इतमीनान कर लेगी कि उक्त जमा राशियां या तो अदा की जा चुकी हैं या परिवर्तित या नवीकृत की गयी हैं जिससे कि वे परिवर्तन या नवीकरण की तारीख से बारह महीनों के बाद अदा किये जाने योग्य हों;

(ख) यदि ऐसी जमा राशियों की कुल रकम कम्पनी की चुकता पूंजी और निर्बाध आरक्षित निधियों की कुल राशि के पच्चीस प्रतिशत से अधिक हो तो इस उद्देश्य के लिए आवश्यक कदम उठाकर यह इतमीनान कर लेगी कि—

(i) 1 अप्रैल 1973 के पहले कम से कम इतनी जमा राशियां जो चुकता पूंजी और निर्बाध आरक्षित निधियों की कुल राशि के पच्चीस प्रतिशत के बराबर हों;

(ii) 1 अप्रैल 1974 के पहले ऐसी जमा राशियों के बकाये का कम से कम आधा भाग ; और

(iii) 1 अप्रैल 1975 के पहले ऐसी जमा राशियों का शेष भाग, यदि कोई हो, या तो अदा किया जा चुका है या परिवर्तित या नवीकृत किया गया है जिससे कि वे जमा राशियां परिवर्तन या नवीकरण की तारीख से बारह महीनों के बाद अदा किये जाने योग्य हों।"

स्पष्टीकरण :—इस उप पैराग्राफ और पैराग्राफ 3(2) के उद्देश्यों के लिए चुकता पूंजी और निर्बाध आरक्षित निधियों की कुल राशि का हिसाब लगाते समय, यदि कम्पनी के तुलनपत्र में हानि की कोई संचित बकाया राशि दिखायी गयी हो तो उसे कम्पनी के तुलन-पत्र में दी गयी चुकता पूंजी और निर्बाध आरक्षित निधियों की कुल राशि से घटा दिया जाएगा।"

V. भाग II में पैराग्राफ 9 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"9. जमाराशियों की वापसी अदायगी के लिए सामान्य शर्तें

1 जनवरी 1972 को और उस तारीख से कोई गैर बैंकिंग वित्तेतर कम्पनी—

(क) जो जमा राशि उस तारीख के पहले जब कि वह वापसी अदायगी के लिए पुग जाती हो, ऐसी जमा राशि की प्राप्ति की तारीख से बारह महीने समाप्त होने की तारीख को या उसके बाद वापिस अदा की जाती हो उस पर करार की गयी वार्षिक दर में एक प्रतिशत कम कर, उससे अधिक किसी दर पर ब्याज अदा नहीं करेगी ; और

(ख) जो जमा राशि उपर्युक्त अवधि के समाप्त होने के पहले वापस अदा की जाती हो उस पर निम्नलिखित सम्बन्धित दर से अधिक दर पर ब्याज अदा नहीं करेगी :

	स्वीकृत अधिकतम प्रतिशत वार्षिक दर
(i) यदि जमा राशि प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों की अवधि के भीतर वापस अदा की जाए।	कुछ नहीं
(ii) यदि जमा राशि प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों की अवधि के बाद, किन्तु 45 दिनों की अवधि के भीतर वापस अदा की जाए।	1
(iii) यदि जमा राशि प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों की अवधि के बाद, किन्तु 90 दिनों की अवधि के भीतर वापस अदा की जाए।	2
(iv) यदि जमा राशि प्राप्ति की तारीख से 90 दिनों की अवधि के बाद, किन्तु छः महीनों की अवधि के भीतर वापस अदा की जाए।	3½
(v) यदि जमा राशि प्राप्ति की तारीख से छः महीनों की अवधि के बाद, किन्तु नौ महीनों की अवधि के भीतर वापस अदा की जाए।	3½
(vi) यदि जमा राशि प्राप्ति की तारीख से नौ महीनों की अवधि के बाद किन्तु बारह महीने समाप्त होने के पहले वापस अदा की जाए।	4½

किन्तु जहां जमा की शर्तों में गैर बैंकिंग वित्तेतर कम्पनी के विकल्प पर जमा राशि की शीघ्र वापसी अदायगी की व्यवस्था हो और ऐसे विकल्प के अनुसार जमा राशि शीघ्र वापस अदा की जाती हो वहां इस पैराग्राफ की कोई शर्त लागू नहीं होगी।"

VI. पहली अनुसूची में निम्नलिखित प्रकार से संशोधन किया जाएगा :—

पहली, अनुसूची के भाग अ, आ और इ के स्थान पर निम्नलिखित भाग अ, आ और इ प्रतिस्थापित किए जाएं :—

भाग-अ
बकाया जमाराशियां (राशि हजार रुपयों में)

संकेत सं०	ऋणों, प्राप्तियों और जमा राशियों के प्रकार	31 मार्च 19 को	
		लेखों की संख्या	राशि
1	2	3	4
	I. छूट प्राप्त ऋण या दूसरी प्राप्तियां जिन्हें जमा राशियों के रूप में नहीं माना जाता :		
1.	(क) निदेशक या भूतपूर्व प्रबंध एजेंट या सचिव और कोषपाल, यदि कोई हो।		
2.	(ख) कर्मचारियों से प्राप्त जमानती जमाराशियां।		
3.	(ग) खरीदनेवाले, विक्रय करने वाले और दूसरे एजेंट।		
4.	(घ) नियंत्रक या सहायक कम्पनियां		
5.	(ङ) जमानती उधार और बैंकों, अन्य निर्दिष्ट संस्थाओं, विदेशी सरकार और किसी दूसरी विदेशी संस्था से लिये गये उधार।		
6.	(च) दूसरे छूट प्राप्त ऋण या प्राप्तियां जिन्हें जमा राशियों के रूप में नहीं माना जाता।		
7.	जोड़ (क+ख+ग+घ+ङ+च)		
	II जमा राशियां :		
8	(क) दूसरी मिश्रित पूंजी कम्पनियों (इनमें एक ही वर्ग की कम्पनियां शामिल हैं) से प्राप्त मीयादी जमा राशियां।		
9	(ख) दूसरी सभी मीयादी जमा राशियां		
10	(i) जोड़ (क+ख)		
11	(ग) शेयरधारियों से प्राप्त ऋण		
12	(घ) निदेशकों और भूतपूर्व प्रबंध एजेंटों, सचिवों और कोषपालों, यदि कोई हों, द्वारा गारंटिकृत ऋण।		
13	(ङ) दूसरे सभी गैर जमानती ऋण/ गर जमानती डिबेंचर		
14	(ii) जोड़ (ग+घ+ङ)		
15	(i)+(ii) का जोड़		
16	III उपर्युक्त I और II का जोड़		

भाग-आ
जमाराशियों की अवधि (राशि हजार रुपयों में)

संकेत सं०	ऋणों, प्राप्तियों और जमाराशियों के प्रकार	संकेत संख्या	जमाराशियों की अवधि	31 मार्च 19 को	
				लेखों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6
0	I. छूट प्राप्त ऋण या दूसरी प्राप्तियां जिन्हें जमाराशियों के रूप में नहीं माना जाता अर्थात् जमानती जमाराशियों के रूप में निदेशकों,	1	मांग या नोटिस पर या अन्यथा 6 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय;		

		भूतपूर्व प्रबंध एजटों या सचिवों और कोषपालों, यदि कोई हो या कर्मचारियों से और खरीदनेवाले, विक्रय करने वाले या दूसरे एजेंटों या नियंत्रक या सहायक कम्पनियों से प्राप्त ऋण या प्राप्तियां और छूट प्राप्त दूसरे सभी ऋण या दूसरी प्राप्तियां।	
			2 नोटिस द्वारा या अन्यथा 6 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 12 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय;
			3 नोटिस द्वारा या अन्यथा 12 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 24 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय;
			4 नोटिस द्वारा या अन्यथा 24 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 36 महीने से कम अवधि; में प्रतिदेय।
			5 नोटिस द्वारा या अन्यथा 36 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 60 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय;
			6 नोटिस द्वारा या अन्यथा 60 महीने या उस से अधिक अवधि के बाद प्रतिदेय।
			7 1 से 6 तक का जोड
00	II	जमाराशियां अर्थात् दूसरी मिश्रित पूंजी कम्पनियों (इनमें एक ही वर्ग की कम्पनियां शामिल हैं) से प्राप्त मीयादी जमाराशियां, दूसरी सभी मीयादी जमाराशियां, शेयरधारियों से प्राप्त या निदेशकों और भूतपूर्व प्रबंध एजेंटों, सचिवों और कोषपालों, यदि कोई हों, द्वारा गारंटीकृत ऋण और दूसरे गैर जमानती ऋण/गैर जमानती डिबेंचर या जमाराशियां।	1 12 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 24 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय;
			2 24 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 36 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय;
			3 36 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद, परन्तु 60 महीने से कम अवधि में प्रतिदेय;
			4 60 महीने या उससे अधिक अवधि के बाद प्रतिदेय
			5 कोई अन्य जमाराशियां (विवरण निर्दिष्ट किये जाएं)
			6 1 से 5 तक का जोड
000	III. I और II का जोड़		

भाग-I

जमा राशियों पर ब्याज दरें (दलाली को छोड़ कर) (राशि हजार रुपयों में)

संकेत संख्या	ऋणों, प्राप्तियों और जमा राशियों के प्रकार	संकेत संख्या	31 मार्च 19 को	
			ब्याज की दर	जमा रकम
1	2	3	4	5
0	I. छूट प्राप्त ऋण या दूसरी प्राप्तियां जिन्हें जमाराशियों के रूप में नहीं माना जाता अर्थात् निदेशकों या भूतपूर्व प्रबंध एजेंटों या सचिवों और कोषपालों, यदि कोई हों, या कर्मचारियों से जमानती जमाराशियों के रूप में और खरीदने-वाले विक्रय करने वाले या दूसरे एजेंटों से या नियंत्रक या सहायक कम्पनियों से प्राप्त ऋण या प्राप्तियां और छूट प्राप्त दूसरे सभी ऋण या दूसरी प्राप्तियां	1	5% और उससे कम	
		2	5% से अधिक परन्तु 7% से कम	
		3	7% या उससे अधिक परन्तु 9% से कम	
		4	9% या उससे अधिक परन्तु 10% से कम	
		5	10% या उससे अधिक परन्तु 12% से कम	
		6	12% या उससे अधिक	
00	II जमाराशियां अर्थात् दूसरी मिश्रित पूंजी कम्पनियों (इनमें एक ही वर्ग की कम्पनियां शामिल हैं) से प्राप्त मियादी जमा राशियां, दूसरी सभी मियादी जमाराशियां, शेयरधारियों से प्राप्त या निदेशकों और भूतपूर्व प्रबंध एजेंटों, सचिवों और कोषपालों, यदि कोई हों, द्वारा गारंटी-कृत ऋण और दूसरे गैर जमानती ऋण/ गैर जमानती डिबेंचर या जमाराशियां	1	5% और उससे कम	
		2	5% से अधिक परन्तु 7% से कम	
		3	7% या उससे अधिक परन्तु 9% से कम	
		4	9% या उससे अधिक परन्तु 10% से कम	
		5	10% या उससे अधिक परन्तु 12% से कम	
		6	12% या उससे अधिक	
000	III I और II का जोड़			

दिनांक 21 दिसम्बर 1971

संदर्भ सं० डी०एन०बी०सी० 9/डी०जी० (एस)-71—रिजर्व बैंक की तारीख 21 दिसम्बर, 1971 की अधिसूचना सं० डी०एन० बी०सी० 7/डी०जी० (एस०)-71 के जारी किये जाने के परि-णामस्वरूप रिजर्व बैंक आफ इंडिया इसके द्वारा यह निदेश देता है कि उसका तारीख 23 अगस्त 1967 का आदेश सं० डी०एन०बी०सी० 101/ई०डी० (एस०)-67 पहली जनवरी 1972 से रद्द होगा।

संदर्भ सं० डी०एन०बी०सी० 10/डी०जी० (एस०)-71—रिजर्व बैंक की तारीख 21 दिसम्बर, 1971 की अधिसूचना सं० डी० एन० बी० सी० 8/डी० जी० (एस०)-71 के जारी किए जाने के परिणामस्वरूप रिजर्व बैंक आफ इंडिया इसके द्वारा यह निदेश देता है कि उसका तारीख 23 अगस्त, 1967 का आदेश सं० डी० एन० बी० सी० 102/ई० डी० (एस०)-67 पहली जनवरी, 1972 से रद्द होगा।

दिनांक 30 दिसम्बर 1971

संदर्भ सं० डी०एन०बी०सी० 11/डी०जी० (एस०)-71—रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम, 1934 की धारा 45 ञ, 45ट और 45 ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस उद्देश्य के लिए समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिजर्व बैंक आफ इंडिया इसके द्वारा यह निदेश देता है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (रिजर्व बैंक) निदेशावली, 1966 के पैराग्राफ 5 के खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्—

"(च) निम्नलिखित शीर्षों के अधीन, कम्पनी के लेखा-परीक्षा किए गए पिछले तुलनपत्र की तारीख को (तारीख का भी उल्लेख किया जाए) कम्पनी से सम्बन्धित विवरण, अर्थात्—

(i) चुकता पूंजी,

(ii) निर्बाध आरक्षित निधि,

(iii) जमाराशि,

(iv) कम्पनी द्वारा प्राप्त किया गया और कम्पनी की सम्पत्ति के बन्धक या चलभार सहित प्रभार या किसी दूसरे प्रकार के ग्रहणाधिकार से प्राप्त किया गया

कोई ऋण या अग्रिम, जिसमें कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 293 में परिभाषित अस्थायी ऋण भी शामिल हैं,

(v) उपर्युक्त अस्थायी ऋणों सहित कम्पनी द्वारा उधार ली गई कोई दूसरी रकम, और

(vi) हानि की संचित बकाया राशि, यदि कोई हो।"

सं० डी० एन० बी० सी० 12/डी० जी० (एस०)-71—रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया अधिनियम, 1934 की धारा 45ब, 45ट और 45ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस उद्देश्य के लिए समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिजर्व बैंक आफ इंडिया इसके द्वारा यह निदेश देता है कि गैर बैंकिंग वित्तेतर कम्पनी (रिजर्व बैंक) निदेशावली, 1966 के पैराग्राफ 5 के खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(च) निम्नलिखित शीर्षों के अधीन, कम्पनी के लेखा-परीक्षा किए गए पिछले तुलनपत्र की तारीख़ को (तारीख का भी उल्लेख किया जाए) कम्पनी से सम्बन्धित विवरण, अर्थात् :—

(i) चुकता पूंजी,

(ii) निर्बाध आरक्षित निधि,

(iii) जमाराशि,

(iv) कम्पनी द्वारा प्राप्त किया गया और कम्पनी की सम्पत्ति के बन्धक या चलभार सहित प्रभार या किसी दूसरे प्रकार के ग्रहणाधिकार से प्राप्त किया गया कोई ऋण या अग्रिम, जिसमें कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 293 में परिभाषित अस्थायी ऋण भी शामिल हैं,

(v) उपर्युक्त अस्थायी ऋणों सहित कम्पनी द्वारा उधार ली गई कोई दूसरी रकम, और

(vi) हानि की संचित बकाया राशि, यदि कोई हो।"

एस० एस० शिरालकर, उप गवर्नर

बैंक परिचालन और विकास विभाग

बम्बई-1 दिनांक 22 दिसम्बर 1971

सं० डी० बी० ओ० डी० सं० ए० आर० एस० 1147/सी० 452 के० (25)-71—स्टेट बैंक आफ इंडिया अधिनियम, 1955 की धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय सरकार के परामर्श से रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने मैसर्स सी० सी० चोकसी एण्ड कंपनी, मफतलाल हाउस, बैकवे रिक्लमेशन, बंबई और मैसर्स एम० के० दांडेकर एण्ड कंपनी, 17, अंगप्पा नायकन स्ट्रीट, मद्रास को 31 दिसम्बर, 1971 को समाप्त होने वाले चालू लेखा वर्ष के लिये स्टेट बैंक आफ इंडिया का लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

एस० जगन्नाथन, गवर्नर

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई दिनांक 15 दिसम्बर 1971

स्टेट बैंक आफ इंडिया (सहायक बैंक्स) ऐक्ट 1959 की धारा 29(1) के अनुसार स्टेट बैंक आफ इंडिया ने, स्टेट बैंक आफ मैसूर के निदेशक-मंडल के साथ विचार-विमर्श करने के बाद तथा रिजर्व बैंक आफ इंडिया की स्वीकृति लेकर श्री सी० वीररावन को श्री पी० एस० वैद्य के स्थान पर, स्टेट बैंक आफ मैसूर के जनरल मैनेजर के पद पर दिनांक 11 दिसम्बर 1971 से 5 जून, 1973 (दोनों दिन सम्मिलित) तक नियुक्त किया है।

टी० आर० वरदाचारी, प्रबंध निदेशक

स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर

(स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सहायक बैंक)

भारत में विशेष अधिनियम के अन्तर्गत निगमित

सदस्यों का दायित्व सीमित

प्रधान कार्यालय

इन्दौर, दिनांक 28 दिसम्बर 1971

सूचित किया जाता है कि स्टेट बैंक आफ इंदौर के अंशधारियों की ग्यारहवी वार्षिक साधारण सभा 11 फरवरी, 1972 को 4-00 बजे अपराह्न, मानक समय, में बैंक के प्रधान कार्यालय, 2, बम्बई-आगरा मार्ग, इन्दौर में निम्नलिखित कार्य-सम्पादन के लिए होगी :—

"बैंक के 31 दिसम्बर, 1971 तक के संतुलन-पत्र, लाभालाभ खाता, उक्त अवधि के लिये निदेशक-मंडल के बैंक के संचालन का विवरण एवं अंकेक्षक की संतुलन-पत्र एवं खातों पर टिप्पणी की चर्चा के लिये"।

निदेशक-मंडल की आज्ञा से
म० वि० भिडे,
जनरल मैनेजर

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर

(स्टेट बैंक आफ इंडिया का सहायक)

विशेष परिनियम के अन्तर्गत भारत में संस्थापित सदस्यों का दायित्व सीमित है।

जयपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 1971

सूचित किया जाता है कि बैंक के भागीदारों का रजिस्टर सोमवार 24 जनवरी, 1972 से सोमवार, 7 फरवरी 1972 तक, दोनों दिन मिलाकर बन्द रहेगा।

दिनांक 31 दिसम्बर 1971

सूचित किया जाता है कि स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के भागीदारों की ग्यारहवी वार्षिक साधारण सभा की बैठक बैंक के प्रधान कार्यालय सवाई मानसिंह हाईवे, जयपुर में मंगलवार, 8 फरवरी, सन् 1972 को सायंकाल चार बजे (नियत समयानुसार) होगी, जिसमें बैंक की बेलेन्स शीट, 31 दिसम्बर 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष के लाभ हानि, बैंक के कार्य पर डायरेक्टरों की रिपोर्ट एवं बेलेन्स शीट और हिसाब के सम्बन्ध में आडीटर की रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा।

बोर्ड के आदेशानुसार
डी० पी० सैगल,
जनरल मैनेजर

भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान

नई दिल्ली, दिनांक 18 दिसम्बर 1971

सं० 4सी०ए० (1)/17/71-72—चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1 खंड (ग) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्य रजिस्टर में से निर्धारित शुल्क जमा न करने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम 1 जुलाई, 1971 से हटा दिया है :—

क्र० सं०	स० सं०	नाम एवं तार
1	2	3
1.	368	श्री बी० सी० मिश्रा, 20 ए० मोतीलाल नेहरू रोड, कलकत्ता-29।
2.	369	श्री एच० के० बन्धोपाध्याय, मै० एच० के० बैनर्जी एन्ड क०, 1, लताफत हुसैन लेन, बेलघाटा, कलकत्ता-10।
3.	1512	श्री वाई० ई० भैमिया, मै० ए० एफ० फरगुसन एन्ड कम्पनी, 3, अमेरिकन लाइफ स्क्वायर आफ मैकलोड रोड, करांची-2 (पाकिस्तान)
4.	1615	श्री टी० एस० राजू, असिस्टैन्ट डिविजनल मैनेजर, (एकाउन्ट्स), जीवन बीमा निगम, डिविजनल आफिस, आन्ध्रा इन्शोरेन्स बिल्डिंग, पो० बा० न० 24, भूतियापेट, मछलीपट्टनम (ए० पी०)।
5.	1949	श्री बी० एस० नागभूषण, मै० बी० एस० एन० भूषण एन्ड कम्पनी, 44, फोर्ड रोड, बंगलौर-44।
6.	2495	श्री पी० एल० माचवे, 102, ब्राह्मणवाड़ी, मादूंगा, बम्बई-19 (डीडी)।
7.	2555	श्री एच० जी० एल० साजन, 152-बी, सिन्धी मुस्लिम हाउसिंग सोसायटी, करांची-3 (पाकिस्तान)।
8.	2659	श्री ए० के० मेनन, चीफ, मैनेजमैन्ट रिपोर्टिंग डिवीजन, फरटीलाइजर कारपोरेशन आफ इन्डिया लि०, एफ-35, साउथ एक्सटैन्सन-1, नई दिल्ली-49।
9.	3782	श्री ए० सी० समद्दर, मै० ए० समद्दर एन्ड क०, 8/2, हेस्टिंग स्ट्रीट, 3री मंजिल, कलकत्ता-1।
10.	3879	श्री आर० बी० मणि, 10, शिवागनम रोड, टी० नगर, मद्रास-17।
11.	3974	श्री एस० सी० सूद, सी०-4/24, सफदरजंग डेवलपमेन्ट एरिया नई दिल्ली।
12.	4466	श्री बी० ई० सुब्रह्मनियन, एकाउन्टैन्ट, जी० ई० सी० आफ इन्डिया लि०, दी माल, कानपुर।
13.	4561	श्री बी० सीताराममूर्ति, एकाउन्ट्स आफिसर, एम०-58/1, टैलको कालोनी, जमशेदपुर।
14.	5130	श्री सी० एन० कौल, डी-66, नई दिल्ली साउथ एक्सटेन्सन-I, नई दिल्ली।
15.	5597	कुमारी मंजुल मल्होत्रा, द्वारा डा० के० के० बत्रा, अपार्ट० 4, 1435, बोनिता एवेन्यू, बरकले, कैलीफोर्निया-94709 (यू० एस०ए०)।
16.	5956	श्री० एम० गोपाल बर्वे, अधार, तिलक मंदिर रोड, बम्बई-57।
17.	5973	श्रीमती आर० एस० वोरा, मै० आर० सी० वोरा एन्ड क०, द्वारा मै० भाई चन्द अमोलक एन्ड क०, 9, वैलेस स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई-1।
18.	6150	श्री डी० भीमेश्वरा राव, दी के० सी० पी० लिमिटेड, 38, माउन्ट रोड, मद्रास-6।
19.	6154	श्री आर० के० गोयल, मै० प्रताप स्टील रोलिंग मिल्स (प्रा०) लि०, प्लाट-4, सेक्टर-4, 21/3 मथुरा रोड, बल्लभगढ़ (हरियाणा)।
20.	6323	श्री ओ० पी० भूटानी, बाटा लि०, 59, वानफोर्ड ड्राइव, डेन मिल्स, टोरन्टो-ओनटारियो (कनाडा)।
21.	6367	श्री सहदेव कुमार, बी० 129, मालवीय नगर, नई दिल्ली-17।

क्र०सं०	स०स०	नाम एवं सार
22.	6619	श्री पी० पी० जैकब, चीफ एकाउन्टैन्ट, न्यू इन्डिया फिसरीज लि०, कारुवेलीपाडी, कोचीन-5।
23.	6716	श्री पी० वी० सेठ, मै० पी० बी० सेठ एन्ड क०, 6, मुगत महल, जामे जमशेद रोड, माटूंगा (सी० आर०), बम्बई-19।
24.	6960	श्री टी० ई० फरनानडेस, सेक्रेटरी एन्ड चीफ एकाउन्टैन्ट, दी रेमन्ड ऊलन मिल्स (केन्या) लि०, पो० बा० नं० 735, एलडेरेट, केन्या (पूर्व अफरीका)।
25.	7030	श्री के० एन० माथुर, 99, टैगोर पार्क, अल्पना सिनेमा के पीछे, माडल टाउन, दिल्ली-9।
26.	7033	श्री जे० एम० अमीन, शमा सोसायटी, 2री मंजिल, ए० जी० हाई स्कूल के पीछे, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-14।
27.	7086	श्री जी० वी० स्वामिनाथन्, 28, मोहम्मद कालोनी, 64/66, सलाई विनयाकार कोयल स्ट्रीट, मद्रास-1।
28.	7123	श्री एम० वी० रामचन्दानी, प्लेट-6, सेवन स्टार, प्लाट सं० 495, रोड सं० 33, खार, बम्बई-52।
29.	7439	श्री के० ए० वाडिया, 15, वालेनटिना, एन० गमादिया रोड, बम्बई-26।
30.	7838	श्री के० आर० विश्वानाथन्, असिस्टैन्ट एकाउन्ट्स आफिसर, इजीनियर्स ब्लाक, एच० ए० एल०, पो० ओ० ओजर टाउनशिप, जि० नासिक (महाराष्ट्र)।
31.	8012	श्री पी० आर० जिलोका, 66/ए०, खेलाट बाबू लेन, कलकत्ता-2।
32.	8054	श्री एस० ए० कोकन, असिस्टैन्ट एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर इन्टरनल आडिट-डिपार्टमैन्ट, सैन्ट्रल आफिस, एल० आई० सी० आफ इन्डिया, 'योगक्षेम', बम्बई।
33.	8273	श्री बी० ए० बोमान, द्वारा कूपर ब्रोस एन्ड क०, पो० बा० न० 1993, तेहरान (ईरान)।
34.	8436	श्री सुव्रत घोष, 55/7, पूरमदास रोड, कलकत्ता-29।
35.	8461	श्री सुनील मुखोपाध्याय, 115, जी० टी० रोड, पो० ओ० बाली, जि० हावडा (प० बंगाल)।
36.	8721	श्री रंजन बन्धोपाध्याय, 5, लैन्सडौन लेन, कलकत्ता-26।
37.	8732	श्री आर० एम० गांधी, 89, हेडोकर वाडी नं० 2, आक्ष लेन, गोखले रोड, दादर (वार्थ), बम्बई-28।
38.	8784	श्री अशोक कपूर, एल/62, कनाट सरकस, नई दिल्ली-1।
39.	8933	श्री आर० आर० जबेरी, 156, चित्तानडन एवेन्यू, एपार्टी† ए०, कोलम्बस, ओहियो-43201 (यू० एस० ए०)।
40.	9132	श्री ई० त्यागाराजन, नं० 6, नाडु स्ट्रीट, माइलापुर, मद्रास-4।
41.	9227	श्री प्रेम प्रकाश, द्वारा बालमेर लौरी एन्ड कं० लि०, (एकाउन्ट्स डिपार्टमैन्ट), 21 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1।
42.	9405	श्री एस० के० हांडा, 1991, नौघरा, किनारी बाजार, दिल्ली-6।
43.	9485	श्री एन० जे० मोहनेट, 'सारदा' 2री मंजिल, फ्लैट नं० 30, चर्च गेट 'ए' रोड, बम्बई-20।
44.	9558	श्री आनन्द स्वरूप सिंघल, 23-ई, कमला नगर, दिल्ली-7।
45.	9692	श्री टी० एस० वैनकटानारायपा, श्रीनिवासा निलय, तिलक नगर, सिमोगा।
46.	9832	श्री पी० रामलू, द्वारा रेसेनफील्ड स्टेममैन एन्ड वाऊ, सर्टिफाइड पब्लिक एकाउन्टैन्ट्स, 525, नार्दन बलवड०, ग्रेट नेक, एन० वाई० 11021 (यू० एस० ए०)।
47.	10005	श्री डी० एन० भार्गव, भवानी प्रसाद बिल्डिंग, दखनी राय स्ट्रीट, सुभाष मार्ग, दिल्ली-6।
48.	10170	श्री के० सी० जैन, मै० रनवका एन्ड कं०, श्री पूरम हलवाई की दूकान के ऊपर, भरतपुर (राजस्थान)।

क्र० सं०	र० सं०	नाम एवं तार
49.	10475	श्री वाई० पी० रावला, मै० रावला एन्ड कं०, 2655, बैंक स्ट्रीट, नई दिल्ली-5 ।
50.	10596	श्री मलय कुमार बसु, 21/2, डोभर रोड, कलकत्ता-19 ।
51.	10641	श्री एस० रघुनाथ, 464/9, सुयोग कालोनी, गोखले रोड, गणेश खंड, पूना-16 ।
52.	10801	श्री बी० सी० लम्बूरिया, 113-बी/1/बी, चितरंजन एवेन्यू, कलकत्ता-12 ।
53.	10821	श्री ललित भूषण, द्वारा मै० करम चन्द थापर ब्रांदर्स, 9वां फ्लैट, थापर हाउस, 25, ब्राबोर्न रोड, कलकत्ता-1 ।
54.	10832	श्री एच० के० अग्रवाल, 2/50, सेठ गली, आगरा-3 (उ० प्र०) ।
55.	10971	श्री वी० जी० साह, 58-सी०, कृष्ण निवास, 2री मंजिल, कमरा नं० 21, वालकेश्वर रोड, बम्बई-6 ।
56.	11071	श्री एम० सी० खन्ना, 5352, चामवेली निवास, लड्डूघाटी, पहाड़गंज, नई दिल्ली ।
57.	11118	श्री ए० जे० पटेल, गनपतलाल कालोनी, न्यू सिविल अस्पताल के सामने, अहमदाबाद ।
58.	11381	श्री एस० के० अग्रवाल, 307, सेक्टर डी-9 चंडीगढ़ ।
59.	11408	श्री राजेन्द्र कुमार, 2961, बहादुर गढ़ रोड, दिल्ली-6 ।
60.	11835	श्री एस० एम० गुप्ते, 24, महन्त रोड, शर्मा निवास, विले पार्ले, बम्बई-57 (ए एस) ।
61.	11948	श्री डी० सी० जगनाथ, द्वारा बैंक आफ बड़ौदा, (इन्सपेक्शन डिवीजन) सयाजी गंज, 'यशकमल', बड़ौदा-5 ।
62.	11975	श्री विपन कुमार मलिक, ए-65, एन० डी० एस० ई०-I, नई दिल्ली ।

सी० बालकृष्णनन्, सचिव

RESERVE BANK OF INDIA
Central Office

Department of Non-Banking Companies

Calcutta-1, *the* 21*st December* 1971

Ref. No. DNBC. 7/DG(S)-71.—In exercise of the powers conferred by sections 45J, 45K and 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934, and of all the powers enabling it in this behalf, the Reserve Bank, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that the Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1966 shall, with effect from the 1st January 1972, be amended in the following manner, namely :—

I. For clause (f) of sub-paragraph (1) of paragraph 2, the following shall be substituted :

"(f) "deposit" means any deposit of money with, and includes any amount borrowed by, a company, but does not include—

(i) any loan received from or guaranteed by the Central Government or a State Government or any loan received from a local authority or a foreign Government or any other foreign citizen, authority or person;

(ii) any loan raised on terms involving the creation of any mortgage, pawn, pledge or hypothecation, charge including floating charge, or lien, on the assets of the company or any part thereof;

(iii) any loan received from a banking company or from the State Bank of India or from a banking institution notified by the Central Government under section 51 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) or a corresponding new bank as defined in section 2 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or from a co-operative bank as defined in clause (b ii) of section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) or from any person registered under any law relating to moneylending which is for the time being in force;

(iv) any loan received from the Industrial Development Bank of India established under the Industrial Development Bank of India Act, 1964 or the Industrial Finance Corporation of India established under the Industrial Finance Corporation Act, 1948 or a State Financial Corporation established under the State Finance Corporations Act, 1951 or the Tamil Nadu Industrial Investment Corporation Ltd. or the Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd. or the National Industrial Development Corporation of India Ltd. or the Shipping Development Fund Committee or the Life Insurance Corporation of India or the Rehabilitation Industries Corporation of India Ltd. or an Electricity Board constituted under the Electricity (Supply) Act, 1948 or the State Trading Corporation of India Ltd. or the Rural Electrification Corporation Ltd. or the Minerals and Metals Trading Corporation of India Ltd or the Agricultural Finance Corporation Ltd. or the Industrial Reconstruction Corporation of India Ltd. or any other financial institution that may be notified by the Reserve Bank in this behalf;

(v) any loan received by a holding company from its subsidiary or by a subsidiary from its hold-

ing company or by a company from a subsidiary of any of its subsidiaries or from a subsidiary of its holding company or from a subsidiary of the holding company of its holding company or by a company from a holding company of its holding company;

(vi) any loan received by a Government company from any other Government company;

(vii) in the case of a chit fund company, or any other company carrying on chit or kuri business, any subscriptions received from the members of a chit or kuri series in terms of the contract, variola or other arrangement relating thereto, and in the case of a stock exchange or stock-broking company, any money received in connection with the purchase or sale of securities;

(viii) in the case of a mutual benefit financial company, any money received from its members or associate members by way of fixed, recurring, occasional or other deposits;

(ix) any loan received from a person, who, at the time of the receipt of the loan was or is a director of the company, or any loan received before the 3rd April 1970 from persons who at the time of the receipt of the loan, were managing agents or secretaries and treasurers of the company;

(x) any money received from an employee of the company by way of security deposit;

(xi) any money received from purchasing, selling or other agents in the course of or for the purposes of the business of the company or any advance received against orders for goods, properties or services;

(xii) any money received by way of subscription to any shares or stock or any bonds or debentures secured in either case by a charge on or lien on the assets of the company, pending the allotment of the said shares, stock, bonds or debentures; and

(xiii) any money received in trust or any money in transit."

II. In clause (g) of sub-paragraph (1) of paragraph 2, for the words "sub-section (3) of Section 34 of the Income tax Act, 1961" the words "sub-section (2) of section 10 of the Income tax Act, 1922 or sub-section (3) of section 34 of the Income tax Act, 1961, or under any other law which is for the time being in force," shall be *substituted*.

III. In clause (n) of sub-paragraph (1) of paragraph 2, after the words "housing finance, insurance, investment, loan" the words "mutual benefit financial", shall be *inserted*.

IV. For paragraphs 3 and 4 in Part II, the following paragraphs shall be *substituted* :

"3. *Acceptance of deposits by non-banking financial companies* :

(1) On and from the 1st January 1972—

(a) no mutual benefit financial company shall accept deposits except from its members or associate members,

(b) no hire-purchase finance company shall receive any deposit repayable on demand, or on notice, or repayable after a period of less than six months from the date of receipt of such deposit, or renew any deposit received by it whether before or after the date of commencement of these directions, unless such deposit, on renewal, is repayable not earlier than six months from the date of such renewal,

(c) no other non-banking financial company shall receive any deposit repayable on demand, or on notice, or repayable after a period of less than twelve months from the date of receipt of such deposit or renew any deposit received by it whether before or after the date of commencement of these directions, unless such deposit, on renewal, is repayable not earlier than twelve months from the date of such renewal,

(d) no non-banking financial company not being a hire-purchase finance company or a housing finance company shall receive any deposit which, together with any other similar deposits already received and outstanding on the books of the company, is in excess of the limits hereinafter specified in respect of each of the following categories of deposits, namely—

(i) in the case of a deposit received in the form of a loan from a member or loan guaranteed by a person, who, at the time of the giving of the guarantee, is a director, twenty-five per cent of the aggregate of the paid-up capital and free reserves of the company;

(ii) in the case of any other deposit, twenty-five per cent of the aggregate of the paid-up capital and free reserves of the company.

(2) For the avoidance of any doubt, it is hereby declared that a mutual benefit financial company may accept deposits from its members or its associate members for any periods specified in any contracts, written or implied, between the said members and the company."

"4. *Provision in respect of existing deposits of non-banking financial companies* :

(1) Where the aggregate, as on the 1st January 1972, of the deposits of the kinds referred to in sub-clause (i) of clause (d) of sub-paragraph (1) of paragraph 3, and the deposits in the form of loans guaranteed by persons, who were, at the time of giving of the guarantee, managing agents or secretaries and treasurers of the company, is in excess of twenty-five per cent of the aggregate of the paid-up capital and free reserves of a non-banking financial company, not being a hire-purchase finance company or a housing finance company, such company shall secure that—

(a) at least one-third of the said excess shall be reduced before the 1st April 1973;

(b) at least another one-third of the said excess shall be reduced before the 1st April 1974; and

(c) the balance, if any, of the said excess shall be reduced before the 1st April 1975,

by the repayment of the deposits as and when they mature for payment or in any other manner as may be necessary for complying with this provision.

(2) Where, as on the 1st January 1972, solely as a result of the coming into force of the Explanation at the end of this paragraph, the amount of deposits of the kind referred to in sub-clause (ii) of clause (d) of sub-paragraph (1) of paragraph 3 and held by a non-banking financial company, not being a hire-purchase finance company or a housing finance company, is in excess of twenty-five per cent of the aggregate of the paid-up capital and free reserves of the company, such company shall secure that such excess is, before the 1st April 1973, reduced by repayment of the deposits as and when they mature for payment or in any other manner as may be necessary for complying with this provision.

(3) Every non-banking financial company which, on the 1st January 1972, holds any deposits of the kind referred to in sub-clause (i) of clause (d) of sub-paragraph (1) of paragraph 3 and repayable on demand or on notice or after a period of less than six months or twelve months as the case may be from the date of receipt of such deposits shall—

(a) if the total amount of such deposits is not in excess of twenty-five per cent of the aggregate of the paid-up capital and the free reserves of the company, secure before the expiry of 1st April 1973, by taking such steps as may be necessary for this purpose, that the said deposits are either repaid or converted or renewed so as to make them repayable not earlier than six months or

twelve months as the case may be from the date of conversion or renewal;

(b) if the total amount of such deposits is in excess of twenty-five per cent of the aggregate of the paid-up capital and the free reserves of the company, secure by taking such steps as may be necessary for this purpose that—

(i) before the 1st April 1973, at least so much of such deposits equal to twenty-five per cent of the aggregate of the paid-up capital and the free reserves;

(ii) before the 1st April 1974, at least one-half of the balance of such deposits; and

(iii) before the 1st April 1975, the remaining portion, if any, of such depsits,

is either repaid or converted or renewed so as to make them repayable not earlier than six months or twelve months, as the case may be, from the date of conversion or renewal.

Explanation : In arriving at the aggregate of the paid-up capital and free reserves for the purposes of this sub-paragraph and paragraph 3(1)(d), there shall be deducted from the aggregate of the paid-up capital and free reserves, as appearing in the balance-sheet of the company the amount of accumulated balance of loss, if any, disclosed in the balance-sheet."

V. In Part II, for paragraph 9 the following shall be substituted :

"9. *General provision regarding repayment of deposits*:

On and from the 1st January 1972, no non-banking financial company shall—

(a) in respect of any deposit which is repaid before the date on which it is due for repayment but on or after the expiry of six months from the date of receipt of such deposit in the case of hire-purchase finance companies and twelve months from the date of receipt of such deposit in the case of other financial companies, pay interest at any rate exceeding the contracted rate per annum less one per cent; and

(b) in respect of any deposit, which is repaid before the expiry of the aforesaid period, pay interest at a rate exceeding the relevant rate specified hereunder :

	Maximum permissible rate per cent per annum
(*i*) If the deposit is repaid within a period of 14 days from the date of receipt	NIL
(*ii*) If the deposit is repaid after a period of 14 days but within a period of 45 days from the date of receipt	1
(*iii*) If the deposit is repaid after a period of 45 days but within a period of 90 days from the date of receipt	2
(*iv*) If the deposit is repaid after a period of 90 days but within a period of six months from the date of receipt	3½
(*v*) If the deposit is repaid after a period of six months but within a period of nine months from the date of receipt	3½
(*vi*) If the deposit is repaid after a period of nine months but before the expiry of twelve months from the date of receipt	4½

Provided that nothing in this paragraph shall apply where the terms and conditions governing the deposit provide for earlier repayment of the deposit at the option of the non-banking financial company and the deposit is repaid earlier pursuant to such option."

VI. The First, Second, Third, Fourth and Fifth Schedules shall be amended in the following manner, namely :—

(a) Sections (*i*), (*ii*) and (iii) of Part I of the First, Second, Third, Fourth and Fifth Schedules shall be substituted by the following new Sections (i), (ii) and (iii) :

(i) **Deposits Outstanding**

(Amounts in thousands of rupees)

Code No.	Types of loans, receipts and deposits	As on March 31, 19	
		No. of accounts	Amount
	I. Exempted loans or other receipts not counting as deposits:		
1.	(*a*) Directors or the former managing agents or secretaries and treasurers, if any		
2.	(*b*) Security deposits from employees		
3.	(*c*) Purchasing, selling or other agents		
4.	(*d*) Holding or subsidiary companies		
5.	(*e*) Secured borrowings and borrowings from banks, other specified institutions, foreign Government and any other foreign institution		
6.	(*f*) Other exempted loans or receipts not counting as deposits		
7.	Total (a+b+c+d+e+f)		
	II. Deposits:		
8.	(*a*) Fixed deposits from other joint stock companies (including companies in the same group)		
9.	(*b*) All other fixed deposits		
10.	(*i*) Total (a+b)		
11.	(*c*) Loans received from shareholders		
12.	(*d*) Loans guaranteed by directors and the former managing agents, secretaries and treasurers, if any		
13.	(*e*) All other unsecured loans/unsecured debentures		
14.	(*ii*) Total (c+d+e)		
15.	Total of (*i*)+(*ii*)		
16.	III. Total of I and II above:		

(ii) Period of Deposits

(Amounts in thousands of rupees)

Code No.	Types of loans, receipts and deposits	Code No.	Period of deposits	As on March 31, 19	
				No. of accounts	Amount
0 I.	Exempted loans or other receipts not counting as deposits i.e. from directors or the former managing agents or secretaries and treasures, if any, employees by way of security deposits, and purchasing, selling or other agents or holding or subsidiary companies and all other exempted loans or other receipts.	1	Repayable in demand, or on notice or otherwise in less than 6 months.		
		2	Repayable, by notice or otherwise, after a period of 6 months or more but less than 12 months		
		3	Repayable, by notice or otherwise, after a period of 12 months or more but less than 24 months.		
		4	Repayable, by notice or otherwise, after a period of 24 months or more but less than 36 months.		
		5	Repayable, by notice or otherwise, after a period of 36 months or more but less than 60 months.		
		6	Repabable, by notice or otherwise. after a period of 60 months or more.		
		7	Total of 1 to 6		
00 II.	Deposits i.e. fixed deposits from other joint stock companies (including companies in the same group), all other fixed deposits, loans received from shareholders or guaranteed by directors and the former managing agents, secretaries and treasurers. if any and other unsecured loans/unsecured debentures or deposits.	1	Repayable after a period of 6 months or more but less than 12 months.		
		2	Repayable after a period of 12 months or more but less than 24 months		
		3	Repayable after a period of 24 months or more but less than 36 months.		
		4	Repayable after a period of 36 months or more but less than 60 months.		
		5	Repayable after a period of 60 months or more.		
		6	Any other deposits (the details to be specified)		
		7	Total of 1 to 6		
000 III.	Total of I and II :				

(iii) Rates of Interest (exclusive of brokerage) on deposits

(Amounts in thousands of rupees)

Code No.	Types of loans, receipts and deposits	Code No.	Rate of Interest	As on March 31, 19 Amount of deposit
0 I.	Exempted loans or other receipts not counting as deposits *i.e.* from directors or the former managing agents or secretaries and treasurers, if any, employees by way of security deposits, and purchasing, selling or other agents or holding or subsidiary companies and all other exempted loans or other receipts.	1	5% and below	
		2	More than 5% but less than 7%	
		3	7 % or more but less than 9%	
		4	9% or more but less than 10%	
		5	10% or more but less than 12%	
		6	12% or more	
00 II.	Deposits *i.e.* fixed deposits from other joint stock companies (including companies in the same group), all other fixed deposits, loans received from shareholders or guaranteed by directors or the former managing agents, secretaries and treasurers, if any, and other unsecured loans/unsecured debentures or deposits.	1	5% and below	
		2	More than 5% but less than 7%	
		3	7% or more but less than 9%	
		4	9% or more but less than 10%.	
		5	10% or more but less than 12%.	
		6	12% or more.	

(b) The words "and the 30th September preceding that date" appearing at item No. 1 in the Instructions appended to Part I of the First Schedule shall be deleted.

(c) In Section (iii) of Part II of the First Schedule and Part IV of the Fourth Schedule the words "in current or any other deposit account with scheduled banks" shall be substituted for "in Current Accounts with scheduled banks" against Code No. 2.

The 21st December 1971

Ref. No. DNBC. 8/DG(S)-71.—In exercise of the powers conferred by sections 45J, 45K and 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934, and of all the powers enabling it in this behalf, the Reserve Bank, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that the Non-Banking Non-Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1966 shall, with effect from the 1st January 1972, be amended in the following manner, namely :—

1. For clause (f) of sub-paragraph (1) of paragraph 2, the following shall be substituted :

"(f) "deposit" means any deposit of money with, and includes any amount borrowed by, a company, but does not include—

(i) any loan received from or guaranteed by the Central Government or a State Government or any loan received from a local authority or a foreign Government or any other foreign citizen, authority or person;

(ii) any loan raised on terms involving the creation of any mortgage, pawn, pledge or hypothecation, charge including floating charge, or lien, on the assets of the company or any part thereof;

(iii) any loan received from a banking company or from the State Bank of India or from a banking institution notified by the Central Government under section 51 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) or a corresponding new bank as defined in section 2 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or from a co-operative bank as defined in clause (b ii) of section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) or from any person registered under any law relating to money lending which is for the time being in force;

(iv) any loan received from the Industrial Development Bank of India established under the Industrial Development Bank of India Act, 1964 or the Industrial Finance Corporation of India established under the Industrial Finance Corporation Act, 1948 or a State Financial Corporation established under the State Finance Corporations Act, 1951 or the Tamil Nadu Industrial Investment Corporation Ltd. or the Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd. or the National Industrial Development Corporation of India Ltd. or the Shipping Development Fund Committee or the Life Insurance Corporation of India or the Rehabilitation Industries Corporation of India Ltd. or an Electricity Board constituted under the Electricity (Supply) Act, 1948 or the State Trading Corporation of India Ltd. or the Rural Electrification Corporation Ltd. or the Minerals and Metals Trading Corporation of India Ltd. or the Agricultural Finance Corporation Ltd. or the Industrial Reconstruction Corporation of India Ltd. or any other financial institution that may be notified by the Reserve Bank in this behalf;

(v) any loan received by a holding company from its subsidiary or by a subsidiary from its holding company or by a company from a subsidiary of any of its subsidiaries or from a subsidiary of its holding company or from a subsidiary of the holding company of its holding company or by a company from a holding company of its holding company;

(vi) any loan received by a Government company from any other Government company;

(vii) any loan received from a person, who, at the time of the receipt of the loan was or is a director of the company, or any loan received before the 3rd April 1970 from persons who at the time of the received of the loan, were managing agents or secretaries and treasurers of the company;

(viii) any money received from an employee of the company by way of security deposit;

(ix) any money received from purchasing, selling or other agents in the course of or for the purposes of the business of the company or any advance received against orders for goods, properties or services.

(x) any money received by way of subscription to any shares or stock or any bonds or debentures secured in either case by a charge on or lien on the assets of the company, pending the allotment of the said shares, stock, bonds or debentures; and

(xi) any money received in trust or any money in transit."

II. In clause (g) of sub-paragraph (1) of paragraph 2, for the words "sub-section (3) of section 34 of the Income tax Act, 1961" the words "sub-section (2) of section 10 of the Income tax Act, 1922 or sub-section (3) of section 34 of the Income tax Act, 1961, or under any other law which is for the time being force," shall be substituted.

III. In clause (p) of sub-paragraph (1) of paragraph 2, for the words which is an industrial concern or which carries on mainly the purchase or sale of any goods or commodities other than securities but does not include any chit fund," the words "which is not a chit fund," shall be substituted.

IV. For paragraphs 3 and 4 in Part II, the following paragraphs shall be substituted :

"3. *Acceptance of deposits by non-banking non-financial companies* :

(1) On and from the 1st January 1972, no non-banking non-financial company shall receive any deposit repayable on demand, or on notice, or repayable after a period of less than twelve months from the date of receipt of such deposit, or renew any deposit received by it whether before or after the date of commencement of these directions, unless such deposit, on renewal, is repayable not earlier than twelve months from the date of such renewal.

(2) On and from the 1st January 1972 no non-banking non-financial company shall receive any deposit, which, together with any other similar deposits already received and outstanding on the books of the company, is in excess of the limits hereinafter specified in respect of each of the following categories of deposits, namely—

(i) in the case of a deposit received in the form of a loan from a member or loan guaranteed by a person, who, at the time of the giving of the guarantee, is a director, twenty-five per cent of the aggregate of the paid-up capital and free reserves of the company;

(ii) in the case of any other deposit, twenty-five per cent of the aggregate of the paid-up capital and free reserves of the company."

"4. *Provision in respect of existing deposits of non-banking non-financial companies* :

(1) Where the aggregate, as on the 1st January 1972, of the deposits of the kinds referred to in clause (i) of sub-paragraph (2) of paragraph 3, and the deposits in the form of loans guaranteed by persons, who were, at the time of giving of the guarantee, managing agents or secretaries and treasurers of the company in excess of twenty-five per cent of the aggregate of the paid-up capital and free reserves of a non-banking non-financial company, such company shall secure that—

(a) at least one-third of the said excess shall be reduced before the 1st April 1973;

(b) at least another one-third of the said excess shall be reduced before the 1st April 1974; and

(c) the balance, if any, of the said excess shall be reduced before the 1st April 1975.

by the repayment of the deposits as and when they mature for payment or in any other manner as may be necessary for complying with this provision.

(2) Where, as on the 1st January 1972, solely as a result of the coming into force of the explanation at the end of this paragraph, the amount of deposits of the kind referred to in clause (ii) of sub-paragraph (2) of paragraph 3 and held by a non-banking non-financial company, is in excess of twenty five per cent of the aggregate of the paid-up capital and free reserves of the company, such company shall secure that such excess is, before the 1st April 1973, reduced by repayment of the deposits as and when they mature for payment or in any other manner as may be necessary for complying with this provision.

(3) Every non-banking non-financial company which, on the 1st January 1972, holds any deposits of the kind referred to in clause (i) of sub-paragraph (2) of paragraph 3 and repayable on demand or on notice or after a period of less than twelve months from the date of receipt of such deposits shall—

(a) if the total amount of such deposits is not in excess of twenty-five per cent of the aggregate of the paid-up capital and the free reserves of the company, secure before the expiry of 1st April 1973, by taking such steps as may be necessary for this purpose, that the said deposits are either repaid or converted or renewed so as to make them repayable not earlier than twelve months from the date of conversion or renewal;

(b) if the total amount of such deposits is in excess of twenty-five per cent of the aggregate of the paid-up capital and the free reserves of the company, secure by taking such steps as may be necessary for this purpose that—

(i) before the 1st April 1973, at least so much of such deposits equal to twenty-five per cent of the aggregate of the paid-up capital and the free reserves;

(ii) before the 1st April 1974, at least one-half of the balance of such deposits; and

(iii) before the 1st April 1975, the remaining portion, if any, of such deposits, is either repaid or converted or renewed so as to make them repayable not earlier than twelve months from the date of conversion or renewal.

Explanation : In arriving at the aggregate of the paid-up capital and free reserves for the purposes of this sub-paragraph and paragraph 3(2), there shall be deducted from the aggregate of the paid-up capital and free reserves, as appearing in the balance-sheet of the company, the amount of accumulated balance of loss, if any, disclosed in the balance-sheet."

V. In Part II, for paragraph 9, the following shall be substituted :

"9. *General provision regarding repayment of deposits* :

On and from the 1st January 1972, no non-banking non-financial company shall—

(a) in respect of any deposit which is repaid before the date on which it is due for repayment but on or after the expiry of twelve months from the date of receipt of such deposit, pay interest at any rate exceeding the contracted rate per annum less one per cent; and

(b) in respect of any deposit, which is repaid before the expiry of the aforesaid period, pay interest at a rate exceeding the relevant rate specified hereunder :

	Maximum permissible rate per cent per annum
(*i*) If the deposit is repaid within a period of 14 days from the date of receipt	Nil
(*ii*) If the deposit is repaid after a period of 14 days but within a period of 45 days from the date of receipt	1
(*iii*) If the deposit is repaid after a period of 45 days but within a period of 90 days from the date of receipt	2
(*iv*) If the deposit is repaid after a period of 90 days but within a period of six months from the date of receipt	2½
(*v*) If the deposit is repaid after a period of six months but within a period of nine months from the date of receipts	3½
(*vi*) If the deposit is repaid after a period of nine months but before the expiry of twelve months from the date of receipt	4½

Provided that nothing in this paragraph shall apply where the terms conditions governing the deposit provide for earlier repayment of the deposit at the option of the non-banking non-financial company and the deposit is repaid earlier pursuant to such option."

VI. The First Schedule shall be amended in the following manner, namely :—

Part A, B and C of the First Schedule shall be substituted by the following Parts A, B and C :

(i) Deposit Outstanding

(Amounts in thousands of rupees)

Code No.	Types of loans, receipts and deposits	As on March 31, 19	
		No. of accounts	Amount
(1)	(2)	(3)	(4)
	I. Exempted loans or other receipts not counting as deposits:		
1.	(*a*) Directors or the former managing agents or secretaries and treasurers, if any		
2.	(*b*) Security deposits from employees		
3.	(*c*) Purchasing, selling or other agents		
4.	(*d*) Holding or subsidiary companies		
5.	(*e*) Secured borrowings and borrowings from banks other specified institutions, foreign Government and any other foreign institution		
6.	(*f*) Other exempted loans or receipts not counting as deposits		
7.	Total (a+b+c+d+e+f)		

(Amounts in thousands of rupees)

Code No.	Types of loans, receipts and deposits	Code No.	Period of deposits	As on March 31, 19	
				No. of accounts	Amount
	II. Deposits:				
8.	(*a*) Fixed deposits from other joint stock companies (including companies in the same group)				
9.	(*b*) All other fixed deposits				
10.	(*i*) Total (a+b)				
11.	(*c*) Loans received from shareholders				
12.	(*d*) Loans guaranteed by directors and the former managing agents, secretaries and treasurers, if any				
13.	(*e*) All other unsecured loans/unsecured debentures				
14.	(ii) Total (c+d+e)				
15.	Total of i+ii				
16.	III. Total of I and II above:				

(ii) Period of Deposits

0	I. Exempted loans or other receipts not counting as deposits i.e. from directors or the former managing agents or secretaries and treasurers, if any, employees by way of security deposits, and purchasing, selling or other agents or holding or subsidiary companies and all other exempted loans or other receipts	1	Repayable on demand, or on notice or otherwise in less than 6 months.
		2	Repayable, by notice or otherwise, after a period of 6 months or more but less than 12 months
		3	Repayable, by notice or otherwise, after a period of 12 months or more but less than 24 months.
		4	Repayable, by notice or otherwise, after a period of 24 months or more but less than 36 months.
		5	Repayable, by notice or otherwise, after a period of 36 months or more but less than 60 months.
		6	Repabable, by notice or otherwise, after a period of 60 months or more.
		7	Total of 1 to 6
00	II. Deposits i.e. fixed deposits from other joint stock companies (including companies in the same group), all other fixed deposits, loans received from shareholders or guaranteed by directors and the former managing agents, secretaries and treasurers, if any and other unsecured loans/unsecured debentures or deposits.	1	Repayable after a period of 12 months or more but less than 24 months
		2	Repayable after a period of 24 months or more but less than 36 months.
		3	Repayable after a period of 36 months or more but less than 60 months.
		4	Repayable after a period of 60 months or more
		5	Any other deposits (the details to be specified)
		6	Total of 1 to6
000	III. Total of I and II:		

Rates of interest (exclusive of brokerage) on deposits

0	I. Exempted loans or other receipts not counting as deposits i.e. from directors or the former managing agents or secretaries and treasurers, if any, employees by way of security deposits, and purchasing selling or other agents or holding or subsidiary companies and all other exempted loans or other receipts.	1	5% and below
		2	More than 5% but loss than 7%
		3	7% or more but less than 9%
		4	9% or more but less than 10%
		5	10% or more but less than 12%
		6	12% or more
00	II. Deposits i.e. fixed deposits from other joint stock companies (including companies in the same group), all other fixed deposits, loans received from shareholders or guaranteed by directors or the former managing agents, secretaries and treasurers, if any, and other unsecured loans/unsecured debentures or deposits.	1	5% and below
		2	More than 5% but less than 7%
		3	7% or more but less than 9%
		4	9% or more but less than 10%.
		5	10% or more but less than 12%.
		6	12% or more.
000	III. Total of I and II:		

Ref. No. DNBC.9/DG(S)-71.—Consequent on the issue of the Reserve Bank's Notification No. DNBC-7/DG(S)-71 dated the 21st December 1971, the Reserve Bank of India hereby directs that its Order No. DNBC. 101/EB(S)-67 dated the 23rd August 1967 shall stand rescinded with effect from the 1st January 1972.

Ref. No. DNBC.10/DG(S)-71.—Consequent on the issue of the Reserve Bank's Notification No. DNBC-8/DG(S)-71 dated the 21st December 1971, the Reserve Bank of India hereby directs that its Order No. DNBC. 102/ED(S)-67 dated the 23rd August 1967 shall stand rescinded with effect from the 1st January 1972.

The 30th December 1971

Ref. No. DNBC.11/DG(S)-71.—In exercise of the powers conferred by sections 45J, 45K and 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934, and of all the powers enabling it in this behalf, the Reserve Bank of India hereby directs that for clause (f) of paragraph 5 of the Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1966, the following shall be substituted, namely—

"(f) particulars relating to the company as on the date of the latest audited balance sheet of the company (which date shall also be stated) under the following heads, that is to say—

(i) paid-up capital,

(ii) free reserves,

(iii) deposits,

(iv) any loan or advance obtained by the company and secured by a mortgage or charge including a floating charge or by any other lien on the property of the company, including temporary loans as defined in section 293 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956),

(v) any other amount borrowed by the company, including temporary loans as aforesaid, and

(vi) accumulated balance of loss, if any."

Ref. No. DNBC.12/DG(S)-71.—In exercise of the powers conferred by sections 45J, 45K and 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934, and of all the powers enabling it in this behalf, the Reserve Bank of India hereby directs that for clause (f) of paragraph 5 of the Non-Banking Non-Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1966, the following shall be substituted, namely—

"(f) particulars relating to the company as on the date of the latest audited balance sheet of the company (which date shall also be stated) under the following heads, that is to say—

(i) paid-up capital,

(ii) free reserves,

(iii) deposits,

(iv) any loan or advance obtained by the company and secured by a mortgage or charge including a floating charge or by any other lien on the property of the company, including temporary loans as defined in section 293 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956),

(v) any other amount borrowed by the company, including temporary loans as aforesaid, and

(vi) accumulated balance of loss, if any."

S. S. SHIRALKAR
Deputy Governor

DEPARTMENT OF BANKING OPERATIONS AND DEVELOPMENT

Central Office

Bombay-1, the 22nd December 1971

DBOD. No. ARS.1147/C.452 K(25)-71—In exercise of the powers under sub-section (1) of section 41 of the State Bank of India Act, 1955, and in consultation with the Central Government, the Reserve Bank of India has appointed Messrs. C. C. Chokshi & Co., of Mafatlal House, Backbay Reclamation, Bombay and Messrs. M. K. Dandekar & Co., of 17, Angappa Naicken Street, Madras, as Auditors of the State Bank of India in respect of the current accounting year ending on the 31st December 1971.

S. JAGANNATHAN
Governor

STATE BANK OF INDIA

Central Office

Bombay, the 15th December 1971

NOTICE

In terms of Section 29(1) of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, the State Bank of India, after consulting the Board of Directors of the State Bank of Mysore and with the approval of the Reserve Bank of India, have appointed Shri C. Veeraraghavan as the General Manager of the State Bank of Mysore with effect from the close of business on the 11th December 1971 to the 5th June 1973 (inclusive) *vice* Shri P. S. Vaidya.

T. R. VARADACHARY
Managing Director

STATE BANK OF INDORE

(Subsidiary of the State Bank of India)

Incorporated in India under Special Statute
The Liability of the Members is limited

NOTICE

Indore, the 28th December 1971

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Eleventh Annual General Meeting of the Shareholders of the State Bank of Indore will be held at the Head Office of the Bank, 2, Bombay Agra Road, Indore on the 11th February, 1972 at 4.00 p.m. (Standard Time) to transact the following business :—

"To discuss the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Bank made up to the 31st December, 1971, the report of the Board of Directors on the working of the Bank for the same period and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts."

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS,

M. V. BHIDE
General Manager.

STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR

(Subsidiary of the State Bank of India)

Incorporated in India under special Statute,
The liability of the Members is limited

Jaipur, the 28th December 1971

NOTICE is hereby given that the register of shareholders of the Bank shall remain closed from Monday the 24th January 1972 to Monday, the 7th February 1972 both days inclusive.

By Order of the Board

The 31st December 1971

NOTICE is hereby given that the Eleventh Annual General Meeting of the shareholders of the State Bank of Bikaner and Jaipur will be held at the Bank's Head Office, Sawai Mansingh Highway, Jaipur on Tuesday, the 8th February 1972 at 4.00 P.M. (Standard Time) to discuss the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the State Bank of Bikaner and Jaipur for the year ended the 31st December 1971, the report of the Directors on the working of the Bank for the same period and the Auditor's report on the Balance Sheet and Accounts.

By Order of the Board

C. P. SAIGAL
General Manager

PUNJAB UNIVERSITY (CHANDIGARH)

The Central Government (Ministry of Education) have accorded approval vide their letter No. F. 3-20/71-U.I, dated 16-12-1971 to the amendments proposed in Regulation 2 for 'Private Candidates' at pages 261-267 of the Calendar, Volume I, 1971. This regulation will read as follows :—

2. Subject to regulations 1 and 9, the following classes of candidates may be permitted to appear in a University examination in the Faculties of Languages, and Arts without their having completed the prescribed course of instruction, in a college affiliated to the University or in a teaching department of the University if they are otherwise eligible to appear under the regulations for the examination :—

(a) to (u) * * * * * * *

(v) *The employees working in the following Offices/ Deparments, in Pre-University, B.A. and M.A. examinations* :—

(1) *Punjab Government, Haryana Government, Himachal Pradesh Government and Chandigarh Administration Offices.*

(2) *Offices of the Local Bodies and Semi-Government Offices in the States of the Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Union Territory of Chandigarh.*

(3) *Punjab Agricultural University, Ludhiana; Haryana Agricultural University, Hissar; and Agricultural Campuses at Solan and Palampur of the Himachal Pradesh University.*

(4) *Boards of Secondary Education in the Punjab, Haryana and Himachal Pradesh.*

(5) *Central Government Offices situated in the Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Chandigarh.*

(6) *Central Government and State Governments Public Undertakings located in the Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Chandigarh.*

(7) *Public Limited Companies with their Headquarters in the States of the Punjab, Haryana and Union Territories of Himachal Pradesh and Chandigarh.*

Provided that—

(a) *the candidate is a permanent employee,*

(b) *the candidate has completed service for at least three years on 30th November preceding the year of examination, and his name is duly recommended by the Principal/Head of the Department concerned,*

(c) *there is no Evening College or Evening Classes in any college at the place where the candidate is employed,*

(d) *if there is an Evening College or Evening classes in a college at the place where the candidate is employed—*

(i) *the candidate produces a certificate from the Principal of the Evening College concerned that he was not granted admission,*

or

(ii) *the candidate produces a certificate from the employer that because of the nature of his duties (such as working hours of the telephone operators, journalists, etc.) he could not join the Evening College.*

K. C. WALIA
Officer on Special Duty(R)

Chandigarh :
Dated : 23-12-1971.

Sealed in my presence with the Common Seal of the Panjab University, this day the 24th of December, 1971.

JAGJIT SINGH
Registrar

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi, the 18th December 1971

No. 4-*CA*(1)/17/71-72—In pursuance of Regulation 16 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (c) of Sub-Section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, has removed from the Register of Members of this Institute with effect from 1st July, 1971 on account of non-payment of the prescribed fees, the names of the following gentlemen :—

S. No.	Membership No.	Name and Address
1.	368	Shri B.C. Mitra, 20-A ,Motilal Nehru Road, Calcutta-29.
2.	369	Shri H.K. Bandyopadhyay, M/s. H.K. Banerjee & Co., Chartered Accountants, 1, Latafat Hossain Lane, Belghata, Calcutta-10.
3.	1512.	Shri Y.E. Bhaimia, M/s. A.F. Ferguson & Co., 3, American Life Square, Off Melood Road, Karachi-2 (Pakistan)
4.	1615	Shri T.S. Raju, Asstt. Divisional Manager, L.I.C. of India, Divisional Office, Andhra Insurance Building, P.B. No. 24, Buttiahpet, Machilipatnam (A.P.)

S. No.	Membership No.	Nme and Address
5.	1949	Shri B.S. Nagabhushan, M/s. B.S.N. Bhushan & Co., 45, Chord Road, Bangalore-44.
6.	2495	Shri P.L. Machave, 102, Brahminwadi, Matunga, Bombay-19 D.D.
7.	2555	Shri H.G.L. Sajun, 152-B, Sindhi Muslim Housing Society, Karachi-3 (Pakistan)
8.	2659	Shri A.K. Menon, Chief, Management Reporting Division, Fertilizer Corporation of India Ltd., F-35, South Extension I, New Delhi-49.
9.	3782	Shri A.C. Samadder, M/s. A. Samadder & Co.. 8/2, Hastings Street, 3rd Floor, Calcutta-1.
10.	3879	Shri R.B. Mani, 10, Sivagnanam Road, T. Nagar, Madras-17.
11.	3974	Shri S.C. Sood, C-4/24, Safdarjang Deve-/opment Area, New Delhi.
12.	4466	Shri V.E. Subramanian, Accountant, G.E.C. of India Ltd., The Mall, Kanpur
13.	4561	Shri V. Sitarama Murti, Accounts Officer, M-58/1, Telco Colony, Jamshedpur.
14.	5130	Shri C.N. Kaul, D-66, New Delhi South Extension I, New Delhi.
15.	5597	Miss Manjul Malhoutra, C/o, Dr. K.K. Batra, Apt. 4, 1435, Bonita Avenue, Barkeley, California-94709 (U.S.A.).
16.	5956	Shri M. Gopal Barve, Adhar, Tilak Mandir Road, Bombay-57.
17.	5973	Mrs. R.S. Deshi, M/s. R.C. Vora & Co., Chartered Accountants, C/o. M/s. Bhai Chand Amoulk & Co., 9, Wallace Street. Fort, Bombay-1.
18.	6150	Shri D. Bhimeswara Rao, The K.C.P. Ltd., 38, Mount Road, Madras-6.
19.	6154	Shri R.K. Gool, M/s. Pratap Steel Rolling Mills Pvt. Ltd., Plot No. 4, Sector No. 4, 21/3, Mathura Road, Ballabgarh (Haryana)
20.	6323	Shri O.P. Bhutani, Bata Ltd., 59, Wynford Drive, Don Mills, Toronto-Ontario, Canada.
21.	6367	Shri Sahdev Kumar, B-129, Malviya Nagar, New Delhi-17.
22.	6619	Shri P.P. Jacob, Chief Accountant, New India Fisheries Ltd., Karuvelipady, Cochin-5.
23.	6716	Shri P.B. Sheth, M/s, P.B. Sheth & Co., Chartered Accountants, 6, Mugat Mahal, Jame Jamshed Road, Matunga (C.R.) Bombay-19.
24.	6980	Shri T.E. Fernandes, Secretary & Chief Accountant, The Raymond Woollen Mills (Kenya) Ltd., P.O. Box No. 735, Eldoret, Kenya (East Africa).
25.	7030	Shri K.N. Mathur, 99, Tagore Park, Behind Alpana Cinema, Model Town, Delhi.
26.	7033	Shri J.M. Amin, Kshama Society, 2nd Floor, Behind A.G. High School, Navrangpura, Ahmedabad-14.
27.	7086	Shri G.V. Swaminathan, 28, Mohamed Colony, 64/66, Salai Vinayakar Koil Street, Madras-1.
28.	7123	Shri M.V. Ramchandani, Flat 6, Seven Stars, Plot No. 495, Road No. 33, Khar, Bombay-52.
29.	7439	Shri K.A. Wadia, 15, Valentine, N. Gamadia Road, Bombay-26.
30.	7838	Shri K.R. Viswanathan, Asstt. Accounts Officer, Engg. Block, H.A.L. P.O. Ojar Township, Nasik Distt. (Maharashtra).
31.	8012	Shri P.R. Jiloka, 66/A, Khelat Babu Lane, Callutta-2.
32.	8054	Shri S.A. Kokan, Asstt. Administrative Officer, Internal Audit Department, Central Office, L.I.C. of Inida, Yogakshsma, Bombay.
33.	8273	Shri B.A. Boman, C/o, Cooper Bros & Co., Chartered Accountants. P.O. Box No. 1993, Tehran (Iran).
34.	8436	Shri Subrata Ghosh, 55/7, Purna Das Road. Calcutta-29.
35.	8461	Shri Sunil Mukhopadhyay, 115, G.T. Road, P.O. Bally, Distt. Howrah W.B.
36.	8721	Shri Ranjan Bandyopadhyay, 5, Lansdowno Lane, Calcutta-26.

S. No.	Membership No.	Name and Address
37.	8732	Shri R.M. Gandhi, 89, Hedokar Wadi No. 2, Ash Lane, Gokhale Road, Dadar(North) Bombay-28.
38.	8784	Shri Ashok Kapoor, L/62, Connaught Circus, New Delhi.
39.	8933	Shri R.R. Jhaveri, 156, Chittenden Avenue, Apt. A, U.S.A.
40.	9132	Shri E. Thyagarajan, No. 6, Nadu Street, Mylapore, Madras-4.
41.	9227	Shri Prem Prakash, C/o Balmer Lawrie & Co Ltd,. Accounts Deptt., 21, Netaji Subhas Road, Calcutta-1.
42.	9405	Shri S.K. Handa, 1991, Naughra, Kinari Bazar, Delhi-6.
43.	9485	Shri N.J. Mohnot, Sharda, 2nd Floor, Flat No. 30, Churchagte, A. Road, Bombay-20.
44.	9558	Shri Anand Swarup Singhal, 23-E, Kamla Nagar, Delhi-7.
45.	9692	Shri T.S. Venkatanaranappa, Srinivasa Nilaya, Tilak Nagar, Shimoga.
46.	9832	Shri P. Ramloo, C/o, Rosenfold Steinman and Blau, Certified Public Accountants, 525, Northern Blvd., Great Neck, N.V. 11021, U.S.A.
47.	10005	Shri D.N. Bhargava, Bhawani Prasad Buildings, Dakhni Rai Street, Subhash Marg, Delhi-6.
48.	10170	Shri K.C. Jain, M/s. Ranvka & Co., Above Shri Pooran Halwai Shop, Basan Gate, Bharatpur.
49.	10475	Shri Y.P. Rawla, M/s, Rawla & Co, 2655, Bank Street, New Delhi-5.
50.	10596	Shri Malay Kumar Basu, 21/2, Dover Road, Calcutta-19.
51.	10641	Shri S. Raghunath, 464/9, Suyog Colony, Gokhale Road, Ganeshkind, Poona-16.
52.	10801	Shri B. C. Lamboria, 113/1/B, Chittaranjan Avenue, Calcutta-12.
53.	10821	Shri Lalit Bhushan, C/o M/s. Karam Chand Thapar Branches, 9th Flat, Thapar House, 25, Brabourne Road, Calcutta-1.
54.	10832	Shri H.K. Agarwal, 2/50, Seth Gali, Agra-3 (U.P.)
55.	10971	Shri V.G. Shah, 58-C, Krishna Niwas, 2nd Floor, Room No. 21, Walkeshwar Road, Bombay-6.
56.	11071	Shri S. Khanna, 5352, Chambeli Niwas, Luddo Ghati, Pahar Ganj, New Delhi.
57.	11118	Shri A.J. Patel, Ganpatlal Colony, Opposite New Civil Hospital, Ahmedabad.
58.	11381	Shri S.K. Aggarwal, 307, Sector D-9, Chandigarh.
59.	11408	Shri Rajinder Kumar, 2961, Bahadurgarh Road, Delhi-6.
60.	11835	Shri S.M. Gupte, 24, Mahant Road, Sharma Niwas Vile-Parle, Bombay-57 (AS)
61.	11948	Shri V.C. Jagtap, C/o, Bank of Baroda (Inspection Div.), Sayaji Gunj, Yashakamal, Baroda-5.
62.	11975	Shri Vipan Kumar Mallik, A-65, N.D.S.E.I., New Delhi.

C. BALAKRISHNAN
Secretary

EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION

Madras-34, the 3rd December 1971

No. TNR/CO-3(21)/70—In this office Notification No. TNR/CO-3(21)/70, dated 13-5-1971, the nominee at Sl. No. 4 Shri V. Ramasamy, Clerk, Shri Ramavilas Service Limited, Kumbakonam appearing under Regulation 10A(1)(d) and at Sl. No. 7 Shri Ramachandran, Welfare Officer of S.R.V.S. Limited appearing under Regulation 10A(1)(e) may be read as Shri V. Ramaswami, Clerk, S.R.V.S. Limited Welfare Workers Union, Rajanithettam under Regulation 10A(1)(e) and Shri R. Ramachandran, Welfare Officer, S.R.V.S. Limited, Kumbakonam under Regulation 10A(1)(d).

(By Order)

V. SIVARAMAN
Regional Director & Ex-Officio Member-Secretary, Regional Board, E.S.I.C., Tamil Nadu

New Delhi, the 21st December 1971

No. 2-11(1)/68-Estt.III.—In pursuance of section 25 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation 10 of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 and in continuation of

Corporation's Notification of even number dated the 3rd June, 1969, the Chairman of the Employees' State Insurance Corporation in consultation with the State Government of Mysore, hereby nominates the Secretary, Food, Civil Supplies and Labour Department, Government of Mysore and the Secretary, Health and Municipal Administration Department, Government of Mysore as Chairman and Vice-Chairman respectively of the Regional Board, Mysore Region.

Now, therefore, the following further amendments are made in the Employees' State Insurance Corporation Notification of even No. dated the 3rd June, 1969 pertaining to the constitution of Regional Board, Mysore Region, namely :—

Substitute entry *against* Item No. 1 and 2 as under—

"1. The Secretary to the Govt. of Mysore, Food, Civil Supplies and Labour Department, Bangalore.	..	Chairman
2. The Secretary to the Govt. of Mysore, Health and Municipal Administration Deptt., Bangalore."	..	Vice-Chairman

T. C. PURI
Director-General

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972